राजस्थान विधान सभा

द्वितीय बैठक, मंगलवार, दिनांक २२ नवम्बर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन जयपुर में प्रातः ८ बज कर ३६ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ११

वर्तमान वर्ष में आर. ए. एस. की ग्रेड के प्रोमोशन प्राप्त गजटेड अधिकारी

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में किन किन गजटेड ऑफीसर्स को प्रोमोशन दिया जाकर आर० ए० एस० की ग्रेड दी गई है ?

(ख) उक्त कर्मचारी सीनियोरिटी लिस्ट में कौन सा स्थान रखते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)— (क) चालू वर्ष में जिन गजेटेड ऑफिसर्स को आर. ए. एस. के ग्रेड में स्थानापन्न नियुक्तियां की गई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :

(१) श्री देवीलाल बोलिया ।

(२) श्री देवीराम गुप्ता ।

(३) श्री भौंरीलाल पाटनी ।

(४) श्री भूरामल व्यास ।

(५) श्री चतरसिंह ।

(६) श्री परभूसिंह विभूषण ।

(७) श्री रणजीतसिंह ।

(ख) यह ऑफिसर्स 'बी' ग्रूप के तहसीलदार हैं। बी ग्रूप के तहसीलदारों की सिनियोरिटी लिस्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बी ग्रूप के तहसीलदारों की सीनियोरिटी लिस्ट एक बार प्रकाशित हो चुकी है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—एक बार ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट किये गये थे ।

श्री चांदमल मेहता—आर. ए. एस. के ग्रेड्स किस आधार पर दिये जाते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जिन व्यक्तियों को रेवेन्यू बोर्ड रिकमेन्ड करता है ।

श्री चांदमल मेहता—रेवेन्यू बोर्ड ने इसके लिए क्या काइटेरिया रखा है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उनके पास उनका रेकॉर्ड होता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि 'ए' ग्रेड के तहसीलदारों को मौका न दे कर 'बी' ग्रेड वालों को मौका दिया गया ?

श्री चांदमल मेहता—जी नहीं, 'ए' ग्रेड के सभी लोगों की पूर्ति के बाद यह किया गया ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उनसे अधिक सीनियर मौजूद हैं, जिन्हें मौका नहीं दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैंने पहले कहा है कि 'ए' ग्रेड वालों की नियुक्ति के बाद 'बी' ग्रेड की सीनियोरिटी, उनके रेकर्ड से छान-बीन कर, रेवेन्यु बोर्ड रिकमन्ड करता है; उसी के आधार पर नियुक्ति की जाती है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो लिस्ट प्रकाशित हुई है उनमें ये ५ व्यक्ति बहुत जूनियर थे ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—हो सकता है ।

श्री चांदमल मेहता—बिना सीनियोरिटी लिस्ट प्रकाशित हुए उनको कैसे लिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि उनके लिए रेवेन्यू बोर्ड की रिकमन्डेशन है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या १२, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या १२

तहसील दूनी (जिला टोंक) की ग्राम पंचायत के चुनाव कराने वाले अधिकारी

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[रावराजा श्री सरदार सिंह]

(क) क्या ग्राम दूनी, जिला टोंक की ग्राम पंचायत का चुनाव हो चुका ?

(ख) अगर हां, तो कब एवं कौन सी तारीख को ?

(ग) क्या उनके नाम गजट में भी प्रकाशित हुये थे ?

(घ) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ङ) क्या यह सही है कि चुनाव की निश्चित तारीख तहसीलदार दूनी ने बजरिये नोटिस स्थगित कर दी थी।

(च) अगर हां, तो क्यों ?

(छ) क्या यह सही है कि तहसीलदार ने अपने शरीर के खतरे के फलस्वरूप ४ बजे के पश्चात् उसी तारीख को बअदब चुनाव करा दिया ?

(ज) क्या यह सही है कि तहसीलदार ने कलेक्टर एवं सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को इस घटना की सूचना दी ?

(झ) अगर हां, तो घटनास्थल पर कौन सा ऑफिसर किस समय पर पहुँचा ?

(ट) क्या यह सही है कि इस घटना के विषय में कलेक्टर की अदालत में केस चलाया था और कलेक्टर ने एस. डी. ओ. को जांच के लिये भेजा था, उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—यह मामला सब जुडिस है। आप कहें तो इसका उत्तर दे सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष—आपकी इच्छा पर है। मेरी इच्छा पर मत छोड़ियेगा। आप यह कह सकते हैं कि यह मामला सब-जुडिस है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३

कोर्ट ऑफ वार्ड्स के टूटने पर वहां के कर्मचारियों की अन्य विभागों में नियुक्तियां

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कोर्ट ऑफ वार्ड्स डिपार्टमेंट कब तोड़ा गया ?

(ख) उक्त डिपार्टमेंट के टूटने के बाद जयपुर जेले के कितने कर्मचारियों को एब्जॉर्ब किया जा चुका है ?

Page No.4

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) क्या यह सही है कि जिन कर्मचारियों को एब्जोर्ब किया किया जा चुका है। अभी तक नहीं हुआ है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

श्री संपतराम (उपमंत्री)—(क) कोर्ट ऑफ वार्ड्स विभाग अभी तक नहीं तोड़ा गया है ।

(ख) जयपुर जिले के ३४ कर्मचारियों को अब तक एब्जोर्ब किया जा चुका है ।

(ग) जीं हां।

(घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री चांदमल मेहता—यह मामला कब से सरकार के विचाराधीन है ।

श्री संपतराम—इन्टिग्रेशन का मामला और फिक्सेशन का मामला, आप स्वयं जानते हैं कि कब से सरकार के विचाराधीन है । डिपार्टमेंट में उसमें कई प्रकार के समावेश होते ही रहते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—कब से विचाराधीन है, इसका जवाब नहीं मिला ।

श्री संपतराम—इसमें निश्चित तारीख नहीं बता सकता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन कर्मचारियों को एब्जॉर्ब किया गया है उनको रेग्युलर ग्रेड् इन्क्रीमेंट नहीं मिल रहा है ?

श्री संपतराम—यह तो अलग सवाल है । अगर आप कोई नाम बतायेंगे तो जानकारी की जा कर उचित कार्यवाही की जाने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री चांदमल मेहता—अलग सवाल नहीं । फिक्सेशन नहीं होने की स्थिति में क्या उनको रेग्युलर ग्रेड् इन्क्रीमेंट मिल रहे हैं या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूँ ?

श्री संपतराम —उनको पुराने ग्रेड् मिल रहे हैं । फिक्सेशन दो तरह के कर्मचारियों का है । मैं नहीं समझा कि आप किसका चाहते हैं; एक सुपरवाइजरी स्टाफ होता है और दूसरा मिनि-स्टीरियल स्टाफ होता है ।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस ग्रेड में वे काम कर रहे हैं और तनख्वाह मिल रही है तो क्या वे उसी ग्रेड में काम करेंगे ?

श्री सम्पतराम—उनको ग्रेड मिल रही है । अगर नहीं मिली है तो उसके कृपया नाम बताइयेगा ।

श्री चांदमल मेहता—मैं सरकार से जानकारी चाहता हूँ। मुझे जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनको रेग्युलर ग्रेड इन्क्रीमेंट मिल रहा है या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—जब कि उन्हें पुराने ग्रेड मिल रहे हैं तो नियमानुसार उनको उस ग्रेड में इन्क्रीमेंट मिलता ही होगा। अगर किसी को नहीं मिला भी हो तो आप बताइये, उसका पता लगाया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने ही कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक एब्जॉर्ब नहीं किया गया है जयपुर जिले में ?

श्री सम्पतराम—ऐसे कुछ कर्मचारी हैं जिनका कि फिक्सेशन नहीं हुआ है, लेकिन करीब २ पूरे एब्जॉर्ब कर चुके हैं। जो ऐसे हैं कि अनक्वालिफाइड हैं, जो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए कोशिश कर रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—जो एब्ज़ार्ब नही किये गये हैं उनको उस कार्यकाल की तनख्वाह दी जायगी या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कोर्ट आफ वार्ड्स के अन्दर कई व्यक्ति टेम्परेरी तरीके से रखे जाते हैं। जब वे एब्जॉर्ब नहीं किये जाते हैं तो उनको तनख्वाह देने का प्रश्न खड़ा नहीं होता है।

श्री चांदमल मेहता—जो स्थायी कर्मचारी थे उनको तनख्वाह दी जायगी या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—स्थायी कर्मचारियों को अलग करने का प्रश्न नहीं उठता है, सिवाय उनके जो कि इन्टिग्रेशन के अन्दर सर्प्लस डिक्लेअर कर दिये गये हैं। अगर सर्प्लस डिक्लेअर कर दिये गये हैं तो उसके नियम उन पर लागू होंगे।

प्रश्न संख्या १४

सन् १९५४-५५ में रसद विभाग द्वारा अनाज के गोदामों पर किया गया व्यय

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री, रसद विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५४–५५ के आर्थिक वर्ष में सप्लाई विभाग द्वारा अनाज के गोदामों के भाड़े में कितने रुपये खर्च किये गये ?

(ख) ऐसे कितने गोदाम थे जहां अनाज नहीं होते हुए भी खाली मकान का किराया देना पड़ा, ऐसे किराये की कितनी रकम होती है ?

(ग) ऐसे खाली गोदामों पर चौकीदारों व अन्य स्टाफ पर उक्त वर्ष में कितना रुपया खर्च करना पड़ा ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—(क) सप्लाई विभाग द्वारा अनाज के गोदामों के भाड़े के मद में सन् ५४-५५ में १,०७,८७५, रु० ११ आ० ३ पाई खर्च हुए।

(ख) अनाज न होते हुए कोई गोदाम किराये पर नहीं रखा गया, इसलिए खाली गोदामों के किराये का क[illegible] हीं उठता।

(ग) खाल[illegible] स्टाफ पर सन् १९५४-५५ में गोदाम खाली होने के पश्चात् चोकीदारों व अन्य स्टाफ [illegible] री जगह नियुक्त नहीं किया गया तब तक के लिए १५,३९८ रु० ९ आ० वेतन पर खर्च [illegible]

श्री अध्य[illegible]

प्रश्न संख्या [illegible]

आबू पहाड़ पर राजस्था[illegible] रियासतों [illegible] विक्रय संबंधी शासकीय कार्यवाही

[illegible]राजा श्री सर[illegible]सिंह—क्या मुख्य मं[illegible] [illegible]म्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के आबू एरिया बम्बई सरकार से वापिस मिलने के लिये एस. आर. सी. ने सिफारिश की है?

(ख) अगर हां, तो राजस्थान स्टेट्स के वहां कितने २ मकानात हैं?

(ग) उनमें से कितने २ निजी हैं और कितने २ राजस्थान सरकार के?

(घ) क्या यह सही है कि उनके फरोख्तगी के लिए कोई कमेटी नियुक्त की गई थी?

(ङ) अगर हां, तो उस कमेटी के कोन कौन सदस्य थे व उसने क्या रिपोर्ट पेश की थी?

(च) उनमें से कितने फरोख्त हुए और अब राजस्थान सरकार के पास कितने हैं?

(छ) क्या वहां राजस्थान सरकार के कोई मकानात सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में हैं? अगर हां, तो कितने और किन २ शर्तों पर?

(ज) जो सरकार की आबू में प्रोपर्टी है उसकी क्या आमदनी और खर्च है?

(झ) अब सरकार का उसे रखने का इरादा है या बेचने का?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) राजस्थान के मकानात जो आबू पर स्थित हैं उनकी सूची निम्न प्रकार है—

(१) जयपुर वकालत हाउस।

(२) किशनगढ वकालत हाउस।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(३) जेमिनी हाउस ।

(४) धौलपुर हाउस ।

(५) गेरेन्ज कोठी और

(६) उदयपुर प्लांट ।

(ग) उपरोक्त सूची में वही मकानात हैं जो राजस्थान सरकार की सम्पति हैं। निजी संपत्ति के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी हां ।

(ङ) उपरोक्त कमेटी के सदस्य निम्नलिखित थे:—

(१) एडीशनल कमिश्नर, देवस्थान डिपार्टमेंट, जयपुर ।

(२) क्लेक्टर, जयपुर ।

(३) एक्जीक्युटिव इन्जीनियर, पी. डब्ल्यू. डी. (बी एन्ड आर) श्री सी. बी. देसाई ।

(च) कोई मकान फरोख्त नहीं हुआ है और सभी मकानात राजस्थान सरकार के कब्जे में हैं।

(छ) कोई मकान केन्द्रीय सरकार के कब्जे में नहीं है।

(ज) इन मकानों से आय और व्यय विभिन्न वर्षों में मुख्तलिफ होती है।

(झ) इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या सरकार इस पब्लिक प्रोपर्टी को बेचने के विषय में सोच रही है

श्री अध्यक्ष—आप अटेन्टिव नहीं थे, उन्होंने कह दिया ।

प्रश्न संख्या १६

विभिन्न म्युनिसिपल कमेटियों को म्युनिसिपल क्षेत्र की भूमि के विक्रय करने का अधिकार

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) राजस्थान में कितनी म्युनिसिपल कमेटियों को म्युनिसिपल क्षेत्र में जमीनें बेचने का अधिकार है ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) ऐसी कितनी म्युनिसिपैलिटियां हैं जिन्हें ऐसे अधिकार ५४–५५ के आरम्भ में थे, लेकिन गत वर्ष छीन लिये गये है ?

(ग) उक्त अधिकार किन किन कारणों से छीन लिये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) २८ नगरपालिकाओं को, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) किसी भी नगरपालिका के ऐसे अधिकार नहीं छीने गये हैं।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—ऐसी कितनी म्युनिसिपेलिटियां हैं जिन्हें जमीन बेचने का अधिकार नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—१४२ में से २८ निकाल दीजिये।

श्री चांदमल मेहता—यह इस प्रकार होने के क्या कारण हैं कि कुछ को अधिकार हैं और कुछ को नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पुराने राजस्थान में पुराना कानून ही चल रहा है। उस चल रहे पुराने कानून के मुताबिक उनका अधिकार नहीं है। नया कानून बनजाने के बाद सब की व्यवस्था एक हो जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्थान की नगरपालिकाओं पर इस समय दो कानून चल रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दो नहीं, बहुत से चल रहे हैं। टाउन म्युनिसिपेलिटियों के लिए एक कानून है। इसके अलावा पुरानी जो म्युनिसिपेलिटियां हैं उनके लिए अलग अलग कानून हैं।

श्री चांदमल मेहता--भूतपूर्व राजस्थान की नगरपालिकाओं पर भी क्या भिन्न कानून लागू हैं, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह बताया है, आप स्वयं देख रहे है कि अभी जोधपुर म्युनिसिपल एक्ट का संशोधन आया है; फिर ऐसा सवाल पूछने की क्या जरूरत है ?

प्रश्न संख्या १७

कस्बा नासिरदा. थावला, भटेडा आदि ४५ ग्रामों का दूनी तहसील में मिलाना

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कस्बा नासिरदा, थावला, भटेडा आदि ४५ ग्राम पहले टोडा तहसील के अधीन थे ?

(ख) क्या अब उनको दूनी तहसील में लगा दिया गया है ? यदि हां, तो किन २ आधारों पर और किस दृष्टिकोण से ?

(ग) टोडा तहसील से नासिरदा, भटेडा और दूनी कितने फासले पर हैं ?

(घ) क्या इन ग्रामों के निवासियों ने दूनी में नहीं मिलाने के बारे में सरकार के पास प्रार्थना-पत्र पेश किया था ?

(ङ) उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

(च) अब सरकार का क्या विचार है ?

श्री संपतराम (उपमंत्री)—(क) जी हां; नासिरदा, थावला और भटेडा आदि ग्राम टोडा रायसिंह तहसील में थे ।

(ख) जी हां । भटेडा के अतिरिक्त नासिरदा, थावला और अन्य कुछ ग्रामों को दूनी तहसील में सम्मिलित कर दिया गया है । इसका आधार वही है जो अन्य तहसीलों के बनाने के काम में वह लागू होता है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—टोडा से थावला, नासिरदा का कितना फासला है और दूनी से कितना फासला है ?

श्री संपतराम—(ग) टोडा कसबा से नासिरदा लगभग ६–१० मील व दूनी करीब १५–१६ मील व भटेड़ा से ४–५ मील है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) सरकार ने इसको अस्वीकृत कर दिया ।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १८

राजस्थान में आई. ए. एस. केडर के स्थानों पर आर. ए. एस. एवं आर. ए. एस की केडर के स्थानों पर आई. ए. एस. के कर्मचारियों का काम करना

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्यमंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में आई. ए. एस. केडर के कितने स्थान स्वीकृत हुए हैं ?

(ख) ऐसे कौन २ स्थान हैं जो आई. ए. एस. केडर के हैं लेकिन उन पर आर. ए. एस. कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

(ग) उक्त कर्मचारियों का सीनियोरिटी लिस्ट में कौन २ सा स्थान है ?

(घ) उक्त कर्मचारी कब २ से आई. ए. एस. केडर की पोस्ट्स पर काम कर रहे हैं ?

(ङ) ऐसे कौन कौन आई. ए. एस. केडर के कर्मचारी हैं जो आर. एस. एस. की पोस्ट पर काम कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) १०६ ।

(ख) (ग) और (घ) आर. ए. एस. अधिकारियों की सूची जो आइ. ए. एस. पदों पर कार्य कर रहे हैं सदन की मेज पर रखी हुई है। आर. ए. एस. सिनीयोरिटी लिस्ट में उनका स्थान तथा आई० ए० एस० पदों पर कार्य करने की तिथि प्रत्येक के नाम के आगे दी हुई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

(ङ) आई. ए. एस. अधिकारी, जो आर. ए. एस. पदों पर कार्य कर रहे हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं:—

(१) श्री लक्ष्मीलाल जोशी	जागीर कमिश्नर
(२) श्री ए. के. राय	डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ एन्ड कॉमर्स।
(३) श्री विष्णुदत्त शर्मा (द्वितीय)	डाइरेक्टर, डेवलपमेंट।
(४) श्री हिम्मतसिंह	डाइरेक्टर, कोलोनाइज़ेशन
(५) श्री जी. के. भनोत	डिप्टी सेक्रेट्री, इन्डस्ट्रीज़ एन्ड कॉमर्स।

श्री चांदमल मेहता—आई. ए. एस. केडर के स्थानों पर आर. ए. एस. पर्सन्स को नियुक्त करने के क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्योंकि वह एलीजिबल हैं उस स्थान के लिए।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो नियुक्तियां की गई हैं उनमें से अधिकांश सन् १९५५ में हुई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह नहीं है। इसका एक फॉर्मुला है। पीछे से भी होते रहे हैं, अब भी हो सकते हैं और आगे भी होंगे।

श्री चांदमल मेहता—जो लिस्ट दी गई है, क्या यह सही है कि उसमें जो नियुक्तियां हैं वे अधिकांश सन् ५५ की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं निवेदन कर रहा था कि जब आर. ए. एस. की ग्रेड के आदमी को आई. ए. एस. की पोस्ट पर नियुक्त किया जा सकता है ; इस लिस्ट में सीनियर जो आर. ए. एस. के व्यक्ति हैं और जो सिलेक्शन का काम किया गया है, उसके अनुसार आर. ए. एस. कर रहे हैं। बहुत से शुरू से काम कर रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को आई. ए. एस. की पोस्ट्स पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया है उनसे अधिक सीनियर व्यक्ति मौजूद हैं, जिन्हें यह मौका नहीं दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि सीनियर आदमी जो मौजूद हैं उनको नियुक्त नहीं किया गया है, ऐसा उदाहरण मेरी जानकारी में नहीं है। जहां पर कि नियुक्त किया जाता है उस केडर में उसमें पर्सेन्टेज उतनी ही नियुक्त की जा सकती है इन पोस्ट्स पर।

श्री चांदमल मेहता—पर्सेन्टेज के आधार पर नियुक्त करते वक्त क्या उनकी सीनियोरिटी को मद्दे नजर नहीं रखा गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका असर उस पर नहीं पड़ता है। आपका मतलब किस बात से है ? सभी प्रकार के आदमियों को किसी जगह नियुक्त करना है।

श्री चांदमल मेहता—उस पर किसी व्यक्ति के सीनियर होने के क्या मायने है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने निवेदन किया है कि उनकी सर्विसेज़ पर असर नहीं पड़ता है। हो सकता है कि एक आदमी जो आई. ए. एस. की केडर में नियुक्त नहीं किया गया और डाइरेक्टर नियुक्त कर दिया गया, किसी डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर हो सकता है वह आदमी ; किसी खास विभाग का कमिश्नर नियुक्त किया गया है, चाहे वह आई. ए. एस. की पोस्ट नहीं हो।

श्री चांदमल मेहता—आर. ए. एस. के कर्मचारियों को आई. ए. एस. के कर्मचारियों की केडर की पोस्ट्स पर नियुक्त करने पर उसको आर्थिक लाभ मिलता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अलग अलग पोस्ट्स की केडर की ग्रेड अलग है, इसलिए आर. ए. एस. के होते हुए भी आई. ए. एस. के मुताबिक तनख्वाह है।

श्री चांदमल मेहता—जो सूची मुझे दी गई है, क्या यह सही है कि उनमें से अधिकांश को आर्थिक लाभ हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने जो आपको सूची दी है उनमें वे ऑफिसर्स हैं जो आई. ए. एस. पदों पर कार्य कर रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रश्न यह है कि जो सूची आपने मुझे दी है, ऐसे आर. ए. एस. कर्मचारी जो आइ. ए. एस. के पद पर कार्य कर रहे हैं उनकी आइ. ए. एस. केडर पर नियुक्ति से उनको कोई आर्थिक लाभ हुआ है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—I. A. S. Officers working on the R. A. S. posts; that is the list given.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपका प्रश्न यह था :

(क) राजस्थान में आई. ए. एस. केडर के कितने स्थान स्वीकृत हुए हैं ?

(ख) ऐसे कौन कौन स्थान हैं जो आई. ए. एस. केडर के हैं लेकिन उन पर आर. ए. एस. कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

(ग) उक्त कर्मचारियों का सीनियोरिटी लिस्ट में कौन कौन सा स्थान है ?

(घ) उक्त कर्मचारी कब कब से आई. ए. एस. केडर की पोस्ट्स पर काम कर रहे हैं ?

(ङ) ऐसे कौन कौन आई. ए. एस. केडर के कर्मचारी हैं जो आर. ए. एस. की पोस्ट पर काम कर रहे हैं ?

श्री चांदमल मेहता—मेरा सप्लीमेन्टरी खंड (ख) से सम्बन्धित है जिसमें यह है कि ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जो आई. ए. एस. केडर के हैं लेकिन उन पर आर. ए. एस. कर्मचारी काम कर रहे हैं ? इसकी सूचना जो दी गई उस बारे में मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे आर. ए. एस. अधिकारी जो आई. ए. एस. पोस्ट पर काम कर रहे हैं उनको आर्थिक लाभ हुआ या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कुछ व्यक्ति जिनको आइ. ए. एस. की सीनीयर पोस्ट पर नियुक्त किया गया है इस बारे में एक लिस्ट ऐसी होती है जो आइ. ए. एस. की एप्रूव्ड लिस्ट होती

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

है और दूसरी लिस्ट ऐसी होती है जिनको ऑफिशियेट करने के लिये नियुक्त कर सकते हैं। जिन लोगों को नियुक्त किया गया है वे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन पोस्टों पर नियुक्ति के लिये स्वीकृति दे दी है, इसके अलावा एक भी व्यक्ति नहीं।

श्री चांदमल मेहता—जो व्यक्ति सीनियोरिटी लिस्ट में ८६ वां नम्बर रखता है और उसको चान्स नहीं मिलता है, इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कोईसा भी नम्बर रखता हो। यूनीयन पब्लिक सर्विस कमीशन जिन व्यक्तियों को जिस जिस स्थान के लिये एलीजिब्ल समझता है उसी को नियुक्त किया गया है; उसके अलावा एक भी दूसरे व्यक्ति को ये स्थान नहीं दिये गये।

श्री अध्यक्ष—They are from the approved list,

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो एप्रूव्ड लिस्ट है उनमें से सीनियोरिटी के हिसाब से अपॉइन्टमेंट होता है as a matter of Couse,

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Not necessary. merit cum seniority और उसका रेकर्ड; इन चीजों का कन्सीडरेशन युनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, in consultation with our senior officers they decide.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि एप्रूव्ड लिस्ट में जो लोग ज्यादा सीनियर हैं वे अभी तक आर. ए. एस. पोस्ट पर ही काम कर रहे हैं और उन लोगों को जो एप्रूव्ड लिस्ट में बहुत जूनीयर पोजीशन रखते हैं उनको आइ. ए. एस. पोस्ट पर ऑफिशियेट करने का मौका दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है।

प्रश्न संख्या १६

सन् १९५३ से १९५५ तक ग्राम पंचायतों की सहायतार्थ दिये गये रुपयों के हिसाब की जांच

श्री चांदमल मेहता— क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् ५३,५४ व ५५ के वर्ष में ग्राम पंचायतों को सहायतार्थ कितने रुपये दिये गये ?
(ख) उक्त रुपयों के खर्च की जांच किन किन पंचायतों की हो चुकी है ?
(ग) ऐसी कितनी पंचायतें है जिनकी जांच कराने पर गोल-माल पाया गया ?
(घ) ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनकी जांच नहीं कराई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) १९५३-५४ व १९५४-५५ में पंचायतों को प्रारम्भिक कार्य व रचनात्मक कार्य हेतु सहायतार्थ २, ७४,२६२ रू० दिये गये।

(ख), (ग) व (घ) अभी ऑडिट नहीं हो पाया है, इसकी व्यवस्था की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—अभी तक ऑडिट नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—टेक्निकल स्टाफ अवेलेबल नहीं होने से नहीं हो सके, अभी एक ऑडिटर इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—इन सब का ऑडिट कितने समय में हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बहुत जल्दी हो जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हिसाब कितनों का पेश हो चुका है, ऑफिस में सबमिट हो चुका है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अकाउन्ट इन्स्पेक्टर चेक करते है।

श्री हरीकृष्ण व्यास—साल का साल जो हिसाब पेश किया जाता हैं वह किया गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अकाउन्ट वहीं आता है और बजट भी ग्राम पंचायतें ही पास करती हैं और खर्च भी वही करती हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है :

श्री मंगलसिंह (वि. सं. ९४)	२१ नवम्बर से १० दिसम्बर तक
श्री जयनारायण व्यास	२१ नवम्बर से पूर्ण सत्र के लिये

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

Page No.15

सभापति-तालिका की घोषणा

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन की नियमावली के नियम ८ (१) के अन्तर्गत निम्न-लिखित सदस्यों को सभापति-तालिका (पेनल ऑफ चेयरमेन) के लिये मनोनीत किया गया है :-

(१) श्री हिम्मतसिंह (अटरू) ।

(२) श्री गोपीलाल यादव ।

(३) श्री बद्रीलाल शर्मा ।

(४) श्री रघुवीरसिंह (बिसाऊ) ।

सदन-समिति के सदस्यों की नियुक्ति

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १९० के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को हाउस कमेटी के लिए नियुक्त किया गया है :-

(१) श्री लालसिंह शक्तावत ।

(२) श्री सज्जनसिंह ।

(३) श्री जसवन्तसिंह ।

(४) श्री संतोषसिंह ।

(५) श्री वेदपाल त्यागी ।

याचिका-समिति के सदस्यों की नियुक्ति

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १९५ के अन्तर्गत निम्न लिखित सदस्यों को पिटीशन्स कमिटी के लिए नियुक्त किया गया है ।

(१) श्री लालसिंह शक्तावत ।

(२) श्री जवानसिंह ।

(३) श्री चन्दनमल वैद ।

(४) श्री महादेव प्रसाद बंका ।

(५) श्री गोपीलाल यादव ।

विशेषाधिकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम ५३ के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को प्रिविलेज कमेटी के लिए नियुक्त किया गया है :—

[श्री अध्यक्ष]

(१) डॉ० श्री मंगलसिंह ।

(२) श्री जसवन्तसिंह ।

(३) श्री टीकाराम पालीवाल ।

(४) श्री हरिदत्त ।

(५) श्री भीमसिंह ।

(६) श्री दामोदर व्यास ।

(७) श्री झुन्झारसिंह ।

(८) श्री वेदपाल त्यागी ।

(९) श्री चन्दनमल वैद ।

(१०) श्री द्वारकादास पुरोहित ।

डॉ० मंगलसिंह इसके सभापति होंगे ।

राष्ट्रपति एवं राजप्रमुख द्वारा स्वीकृति प्राप्त विधेयकों की प्रस्तुति

श्री सचिव (मनसाराम पुरोहित)— महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति अथवा राजप्रमुख की अनुमति प्राप्त हो चुकी है सदन की मेज पर रखता हूँ ।

विधेयक जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई

1. The Rajashan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Amendment) Bill, 1955.

2. The Rajashtan Jagir Decisions & Proceedings (Validation) Bill, 1955.

विधेयक जिन पर राजप्रमुख की अनुमति प्राप्त हुई

1. The City of Jaipur Municipal (Amendment) Bill, 1955.

2. The Rajasthan cooperative Societies (Amendment) Bill, 1955

3. The Jodhpur Municipal (Amendment Bill), 1955

4. The Rajasthan District Boards (Amendment) Bill. 1955.

5. The Rajasthan Stamp Law Adaptation (Amendment)Bill, 1955.

6. The Rajasthan Anti-ejection Officers Proceedings and Decisions (Validition) Bill, 1955.

7. The Rajasthan Bhoodan Yagna (Amendment) Bill, 1955.

Page No.17

[श्री मनसाराम पुरोहित]

8. The Rajasthan Sales Tax (Amendment) Bill, 1955

9. The Dholpur Professions Tax Abolition Bill, 1955.

10. The Rajasthan Appropriation (No.III) Bill, 1955.

अध्यादेशों की प्रस्तुति

(क) राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, १९५५

श्री अध्यक्ष—Ordinances to be laid on the Table

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)— अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ (अध्यादेश संख्या १५) सन् १९५५, सदन की मेज़ पर रखता हूँ।

(ख) भीम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वैधकरण अध्यादेश, १९५५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं भीम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वैधकरण अध्यादेश, १९५५ (अध्यादेश संख्या १६, सन् १९५५) सदन की मेज पर रखता हूँ।

(ग) राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन अध्यादेश, १९५५

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड एविक्शन) संशोधन अध्यादेश, १९५५ (अध्यादेश संख्या १७, सन् १९५५) सदन की मेज पर रखता हूँ

राजस्थान लोक सेवा आयोग के सन् १९५२-५३ के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन) के प्रतिवेदन सन् १९५२-५३ को उसके स्मारक पत्र (मेमोरेन्डम) सहित मेज पर रखता हूँ।

(क) वापिस लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत एक्ट, १९५३, के संशोधन बिल को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

Page No.18

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इस विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—मैं इस विधेयक को वापिस लेता हूँ।

पुनः स्थापित होने वाले विधेयक

राजस्थान भू-धारण (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री बृजसुन्दर (वितमंत्री, श्री राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५५, को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान मोटर स्पिरिट बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट, श्री अमृतलाल यादव।

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर स्पिरिट बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५५, को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री रामकिशोर व्यास।

राजस्थान विष विधेयक, १९५५

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विष विधेयक, १९५५, को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त (स्वायत शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५५, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

(ग) प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान गोशाला विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री, श्री राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में)—श्री अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान गोशाला विधेयक, १९५४ को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसके नामों की घोषणा बाद में कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि उक्त विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Date and Name ?

श्री अध्यक्ष—कल हो जायेंगे।

राज्य पुनर्गठन आयोग के अभिस्ताव पर राजकीय संकल्प एवं उस पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष स्टेट्स रिऑर्गेनाइज़ेशन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है और मेरा विश्वास है कि उसको सभी माननीय सदस्यों ने भली भांति देख लिया होगा। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के अन्दर अन्य राज्यों की अपेक्षा हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहे हैं, इस मायने में कि बहुत कुछ चीजें जो हमने रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने रखी थी उन चीजों को स्वीकार किया गया है। आबू के बारे में राजस्थान के अन्दर, जब वह बम्बई प्रान्त में मिलाया गया, यह बहुत उत्कट भावना थी कि वह राजस्थान का अविभाज्य अंग रहा है और रहना चाहिये। उसके लिये कमीशन ने राजस्थान की भावनाओं का आदर किया और उसको राजस्थान के अन्दर मिलाने के लिए जो स्वीकृति दी है उससे, मैं समझता हूं, इस सदन के प्रत्येक सदस्य को हर्ष होगा कि जो हमारी पुरानी मांग थी वह आखिर सफल हुई है। (करतल ध्वनि)

वैसे देश के अन्दर तो सभी जगह जनता का राज्य है। एक हिस्सा इधर या उधर रहता है तो उससे खास अन्तर नहीं होता है लेकिन वहां के लोगों की भावनाओं, वहां की भाषा, वहां की संस्कृति ; ये सब चीजें भी ऐसी है कि देश की सुरक्षा और एकता को दृष्टि में रखते हुए, यदि उनके अनुसार उस भाग को अमुक भाग के साथ रखने में जनता में एकरूपता स्थापित हो तो वैसा करना उचित समझा जाना चाहिये और उस दृष्टि से मैं समझता

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हूं कि इस निर्णय के बारे में जहां तक इस सदन का सवाल है दो राय का प्रश्न नहीं है । मुझे इस बात की खुशी है कि जो इस वक्त तक इतना विवादास्पद विषय हमारे और बम्बई की सरकार के बीच में था उनकी तरफ से भी इस सम्बन्ध में एक बड़प्पन का रुख लिया गया है । वहां पहले चाहे कोई भी स्थिति रही तो किन्तु इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद आपस में किसी प्रकार के मनमुटाव की स्थिति अब नहीं रही है ।

दूसरी जो महत्व पूर्ण चीज है वह है अजमेर, जो कि राजस्थान के मध्य में है । लेकिन फिर भी वह राजस्थान से एक अलग तौर पर रहा है अब तक, उसके राजस्थान के अन्दर मिलाये जाने की सिफारिश का, मैं समझता हूं, हम सब स्वागत करेंगे । अजमेर के अन्दर पिछले कुछ दिनों से जो अलग अलग तरह के समाचार मिले है उससे ऐसा पता चलता है कि उसके लिए राजस्थान के अन्दर जो करने की बात तय हुई है उससे कुछ व्यक्ति असंतुष्ट हैं । कुछ व्यक्तियों को भ्रम है, लेकिन मेरा यह विश्वास है कि आमतौर से अजमेर के अन्दर रहने वाले जितने व्यक्ति है उनमें से अधिकांश इस बात को पसन्द करते हैं कि अजमेर और राजस्थान अलग अलग नहीं रह सकते । दर असल अजमेर और राजस्थान का घनिष्ट सम्बन्ध है आपस के अन्दर । खास तौर से शासकीय दृष्टि से बीच के अन्दर अलग राज्य स्थापित रहा, उस हालत में जब कि देश की हिफाजत के लिए पुराना दृष्टिकोण था कि अलग अलग जगह कुछ हिस्सा होना चाहिये जहां कि मिलिट्री रखी जा सके दूसरे राज्यों को व कुछ अन्य हिस्सों को कब्जे में रखने के लिए । वह परिस्थिति जब बदल जाती है तो उसको अलग राज्य रखना किसी भी हालत में वाजिब नही हो सकता । अजमेर के लिए भी, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जब से भारतवर्ष स्वतन्त्र हुआ है तब से कई बार यह प्रस्ताव पास किया गया है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, कि अजमेर राजस्थान का अंग है और राजस्थान के अन्दर रहना चाहिये । यह बहुत न्यायोचित मांग थी, अजमेर और राजस्थान को एकता की उस दृष्टि से भी । मैं समझता हूँ कि आज उस राय में फर्क हो, उसकी आवश्यकता खड़ी नहीं होती ।

यह ठीक है कि अजमेर भी राजस्थान में मिलने का मतलब यह जरूर होगा कि अजमेर के अन्दर जो घाटे का बजट है, काफी घाटा रहता है, जिसकी पूर्ति भारत सरकार करती है; लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि कुछ वर्षों के अन्दर राजस्थान और अजमेर दोनों के मिलने के बाद वह स्थिति भी नहीं रहेगी । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह मैं स्पष्ट करना भी उचित समझूंगा कि जो बहुत से भ्रम अजमेर के रहने वाले भाइयों के दिलों के अन्दर हैं वे उचित नहीं हैं । बहुत से समझते है कि राजस्थान में मिलने से उनको वहां पर जो शिक्षा का प्रसार ज्यादा है, यह ठीक भी है कि अजमेर के अन्दर शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है, वहां पर कम्पलसरी प्राइमरी एज्जुकेशन है, तो उस नीति के अन्दर कि जो अजमेर के अन्दर आज लागू है, जो सुविधाएं आज प्राप्त है उनको वहां पर विकास की दृष्टि से उसके अन्दर कोई परिवर्तन हो, उसका प्रश्न खड़ा नहीं होता ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

दूसरी बात इस कमीशन की रिपोर्ट में यह भी है और इस बात पर विचार किया गया है कि अगली पंचवर्षीय योजना के लिये जो राशि अलग अलग राज्यों के लिये प्लानिंग कमीशन ने स्वीकृत की है उस राशि का उपयोग, कहीं ऐसा नहीं हो कि उन हिस्सों पर न होकर दूसरे हिस्सों पर हो। इस प्रकार की बातें भी कई बार आती हैं तो इस सम्बन्ध में भी यह स्पष्ट कर देना मैं आवश्यक समझता हूँ कि यह उचित ही होगा कि जहां तक सेकन्ड फाइव इयर प्लान के लिये जो धन राशि अजमेर के लिए स्वीकृत की गई है उसको और किसी हिस्से पर खर्च करने का प्रश्न खड़ा नहीं होता, बल्कि वह धन राशि , जो योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं और उनके अनुसार वर्तमान अजमेर के हिस्से को विकसित करने की जो योजना है; उसी काम के लिये खर्च की जानी चाहिये, ऐसा मेरा अनुमान है। उसको इधर उधर खर्च करना उचित नहीं होगा ? यह उनके दिलों को आघात पहुंचाने की बात है।

तीसरा सवाल सर्विसेज़ के बारे में खड़ा होता है कि सर्विसेज़ की सेलेरी वहां कुछ ज्यादा है और हमारे यहां की कम है। उसकी यहां पर क्या पोज़ीशन पैदा होगी यह दोनों तरफ राजस्थान की सर्विसेज़ में और उनके वहां की सर्विसेज में एक दूसरे के दिलों में कई प्रकार की शंकाएं पैदा करती हैं। लेकिन राजस्थान के इन्टिग्रेशन के प्रोसेस से हम लोग जो यहां के रहने वाले हैं वाकिफ हैं कि अलग २ इकाइयों के अन्दर अलग अलग ग्रेड्स थे : तो उन सबका समन्वय किया गया है इस राजस्थान के अन्दर भी जो युनिट्स की पे को ऑप्ट करना चाहें उनको वह ऑपोर्चुनिटी (Opport-tunity) दी गई है और जो यूनिफाइड पे स्केल अलग अलग कायम हुए हैं उनके अनुसार जो ऑप्ट करना चाहें उनको उसके ऑपोर्चुनिटी दी गई है। इस प्रकार डिमोशन की बात खडी नहीं होती। न मैं यह समझता हूँ कि जो आगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसको देखते हुए, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है और राजस्थान के अन्दर दूसरे आस पास के हिस्सों को इसमें मिलाया जा रहा है इस वजह से यहां वालों और वहां वालों को सरप्लस डिक्लेअर करके बेकार करने की बात आती है, क्योंकि ट्रेन्ड पर्सोनल और दूसरे लोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी और जो उपयोगी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के, यह खतरा दिलों के अन्दर हो जाना कि उनके भविष्य के बारे में क्या होगा, वह एक हद तक उचित प्रतीत नहीं होता।

एक, अध्यक्ष महोदय, और चीज है कि अजमेर के अन्दर दरगाह शरीफ के नाम से एक धार्मिक स्थान है जो अखिल भारतीय महत्व का है मुसलमान भाइयों की दृष्टि से, बल्कि यह कहा जाय कि पाकिस्तान के लोग भी उसे उतनी ही आदर की दृष्टि से देखते है और इसके लिये अजमेर में एक विशेष कानून बना हुआ है जो दरगाह एक्ट के नाम से लागू है। इसके संबंध में भी मुझसे कुछ भाइयों ने कहा कि इसके संबंध में क्या स्थिति होने वाली है। मैं कहता हूं कि भारत सरकार की स्वीकृति से जिसके लिये कानून बनाया उसके परिवर्तन का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। भारतवर्ष में जो अलग अलग संस्थायें हैं, धार्मिक संस्थायें हैं, वे चलाई जाती हैं तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह में मिलने से कोई फरक पड़ेगा, इसकी कल्पना करना भी उचित प्रतीत नहीं होगा।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

राजस्थान बनने के बाद अलग २ स्थान इसमें सम्मिलित हुए और किस प्रकार उन अलग अलग स्थानों की स्थिति को कायम रखा जा सकता है, इसके बारे में भी हमें विचार करना पड़ा है, अजमेर में भी यही प्रश्न उपस्थित होता है। अजमेर राज्य हट जाता है तो, आज जो उस छोटे राज्य की स्थिति है, हैड क्वार्टर होने की वजह से उसका क्या होगा, इसका प्रश्न उठता है तो इसके लिये मैं यही अर्ज करूंगा कि जिस प्रकार हमने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की स्थिति को ठीक रखा जाय इसके लिये प्रयत्न किये थे, उसी प्रकार के प्रयत्न अजमेर के लिये भी किये जायेंगे। हम अजमेर को यह समझ कर नहीं चल रहे हैं कि वह कोई हमसे जुदा दूसरा हिस्सा था, जिसके साथ युद्ध की स्थिति थी और जिसको पाने के लिये हमें युद्ध करना पड़ा। वह राजस्थान का ही हिस्सा है, राजस्थान की सरकार के सामने हमेशा इसका ख्याल रहेगा। क्या-क्या वहां होगा, कौन कौन से विभाग वहां रखे जायेंगे; यह ऐसी बातें है जिन पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इन बातों पर तो विस्तार से विचार करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

कुछ बातें वहां चलती हैं, इनके बारे में कहना आवश्यक समझता था, अध्यक्ष महोदय, इसलिये भी कि कई मित्रों से मेरी बात-चीत समय समय पर होती रही और मैंने कहा है उनसे और मैं समझता हूं कि सदन भी उनसे सहमत होगा कि अजमेर में जो आज स्थिति है, उससे अजमेर और आगे बढ़े, उसका विकास हो, इसके लिये सारे राजस्थान की शासन व्यवस्था के अन्दर जितना भी परिवर्तन संभव होगा उतना हम करना चाहेंगे।

तीसरा हिस्सा जो हममें सम्मिलित किया गया है वह लोहारू का हिस्सा है। लोहारू के संबंध में मैं समझता हूं कि जहां तक हम लोगों की मांग का संबंध था महेन्द्रगढ़, नारनोल, लोहारू को यह समझ कर चलते थे कि उनमें राजस्थानी संस्कृति का काफी असर है और वे भाग भी राजस्थान के हिस्से होने चाहिये। परन्तु कमीशन ने उनमें से लोहारू के संबंध में सिफारिश की है। उनके सामने मैं समझता हूं कि कई दृष्टिकोण रहे होंगे और उन सारी चीजों को लक्ष्य में रखते हुए यह सिफारिश की है कि लोहारू सब तहसील राजस्थान के हिस्से के रूप में राजस्थान में मिलाई जाय, इसका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है, एक समय था कि बीकानेर के साथ इसका संबंध जोड़ा गया था और लोहारू राजस्थान का ही एक तरह से भाग रहा है और लोहारू के नवाब तो हमारे राजस्थान में ही हैं। तो लोहारू के संबंध में जो निर्णय हुआ है उसमे वहां के लोगों के लिये और हमारे लिये संतोष की बात है।

सुनेल मंदसौर का हिस्सा है। वह भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। इसमें सुनेल टाउन लिख दिया है। आगे जाकर रिपोर्ट में समेरी में इसे ठीक कर दिया है। वास्तव में यह सुनेल एन्क्लेव है, इसमें दूसरे गांव भी हैं जो राजस्थान में आते हैं। तो छोटे-मोटे गांवों के लिये बाद में आयोग विस्तृत जांच करेगा। माइनर एडजस्टमेंट, जिनके लिये हम यह कहें कि यह गांव हमारे नजदीक पड़ता है, तो इसके लिये आगे भी अवसर आने वाला है। यह बात नहीं है कि आज हम कहते हैं और उसके बारे में आगे विचार करने का अवसर नहीं आने वाला है। जैसे भीलवाड़ा जिले में भैंसोदा

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जगह है जहां पर गांव सारा राजस्थान में और स्टेशन का प्लेटफॉर्म मध्य भारत में हैं; इस प्रकार की स्थिति वहां है। भिवानी मंडी में भी इसी प्रकार की स्थिति है कि मकानों का पीछे का हिस्सा मध्य भारत में है और बाकी सब हिस्सा राजस्थान में है। तो ऐसी छोटी-मोटी जो चीजें हैं उन पर विस्तार से, आगे जो कमीशन होगा वह पूरा विचार कर लेगा।

मैं समझता हूं कि इस पर इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट इस प्रकार की है कि जिस पर हम कोई मतभेद की स्थिति में हों, ऐसी बात नहीं है और जो प्रस्ताव मैंने अभी इस पर प्रस्तुत किया है उससे इस प्रकार की बात नहीं समझता कि हम इस पर वह दृष्टिकोण रख कर चलें, यह कह कर चलें कि इसमें यह हिस्सा जोड़ा जाय, वह हिस्सा जोड़ा जाय; यह इस प्रकार का अवसर नहीं है। इससे हमारे हक में जो अच्छी रिपोर्ट आई है, उसके महत्व को कम कर देते हैं। सब प्रदेश इस मामले में राजस्थान से ईर्ष्या करते हैं कि सिरोंज को छोड़ कर राजस्थान जैसा था वैसा ही बना रहा। सिरोंज, जहां के हमारे यहां एक एम. एल. ए. भी हैं वे शायद मध्यप्रदेश में जावें।

एक माननीय सदस्य— मिनिस्टर भी हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सिरोंज को उधर मिलाये जाने के बारे में, खास तौर से जब कि भोपाल के बारे में, जैसा कि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की वह राजधानी होने वाली है तो हमारे एम. एल. ए. साहब को भी एतराज नहीं होगा कि वह मध्यप्रदेश में मिलाया जाय, इसमें वहां की जनता का हित है। तो इस हिस्से के जाने में जिसको हमने भी स्वीकार किया है कि शासन की दृष्टि से यह ज्यादा सुविधाकर रहता है, और कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— उस हिस्से का तो चला जाना स्वीकार है, परन्तु मेरा जाना स्वीकार नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— हमें तो एतराज नहीं है आप भी जाना चाहें तो।

(हंसी)

अब मैं इस प्रस्ताव को पढ़कर सुना देता हूं :

"यह सदन राज्य-पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को, जहां तक वे राजस्थान राज्य को भावित करने वाले प्रादेशिक समायोजनों से सम्बन्धित हैं, यथोचित सीमा निर्धारण के कारण होने वाले छोटे-मोटे-संपरिवर्तनों के अधीन, सामान्यतः स्वीकार करता है और रिपोर्ट में आबू तालुके, को राजस्थान में पुनः हस्तान्तरित करने, अजमेर राज्य का राजस्थान राज्य में विलय करने तथा लौहारू

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

उप तहसील एवं सुनेल. जो पर राज्य सीमावृत हैं, को राजस्थान में हस्तान्तरित करने के लिये जो सिफारिशें की गई हैं उन पर विशेष रूप से संतोष प्रकट करता है ।

यह सदन प्रशासन, शिक्षा, सेवाओं के एकीकरण तथा वित्तीय एवं अन्य प्रशासी विषयों में भाषा तथा अन्य अल्पसंख्यकों के लिये, विभिन्न प्रकार के सुरक्षणों के संबंध में आयोग ने रिपोर्ट के भाग ४ में जो सिफारिशें की हैं उनको भी स्वीकार करता है। तथापि लोक सेवा आयोगों की नियुक्ति तथा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के बारे में जो सिफारिशें की गई हैं उनके विषय में यह सदन ऐसा अनुभव करता है कि उन पर अभी और विचार-विनिमय करने की आवश्यकता है ।

यह सदन आयोग के इस प्रस्ताव का भी अनुमोदन करता है कि राज्यों का केवल एक ही वर्ग रखा जाय तथा केन्द्र द्वारा प्रशासित प्रदेश भी हों।"

श्री अध्यक्ष— प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

राज श्री हिम्मत सिंह (अटरू)— अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका पूर्ण समर्थन करना मैं किसी हद तक उचित नहीं समझता ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ज्यादा हद तक तो उचित समझते हैं !

राज श्री हिम्मत सिंह (अटरू) —जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने राजस्थान के हित में अजमेर, लोहारू और सुनेल के भाग मिलाने का निर्णय दिया है वह तो किसी हद तक संतोष जनक है और स्वतः ही है क्योंकि जिस तरह से सिरोंज हमारे राजस्थान से दूर स्थित हिस्सा है, उसी तरह से अजमेर भी राजस्थान के मध्य में स्थित एक प्रदेश है, जिस तरह से राजस्थान के अन्दर अजमेर का मिल जाना स्वाभाविक ही माना जाना चाहिये, उसी तरह से सिरोंज का हिस्सा अगर मध्य प्रदेश में चला जाए तो अनुचित बात नहीं हो सकती और इसके साथ साथ हमारे एक सदस्य भी चले जावें तो वह भी एक स्वाभाविक बात हो सकती है। राजस्थान सरकार ने जो मेमोरन्डम उस कमीशन के सामने पेश किया था उसके अन्दर हमारी बहुत सारी मांगें हैं, लेकिन जो इस कमीशन की रिपोर्ट देखी गई तो उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि उससे किसी सदस्य को संतोष नहीं हो सकता है। जिस संक्षेप रूप से हमारी मांगों पर उन्होंने प्रकाश डाला है उससे हमें कैसे संतोष हो सकता है ? सिर्फ अजमेर, आबू और सुनेल के बारे में तो कमीशन की रिपोर्ट में बहुत सूक्ष्म रूप से कुछ दलीलें देकर उनको बतलाया है, लेकिन बाकी और जो हमारी मांगें हैं उनके बारे में कमीशन की रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है, इसका सबको आश्चर्य होना चाहिये। अजमेर के साथ में देवली एरिया का इस रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है ।

(हंसी)

Page No.25

एक माननीय सदस्य— यह अजमेर का ही हिस्सा है।

राज श्री हिम्मत सिंह अटरू— लेकिन हमने हमारे मेमोरन्डम में इसको सेपरेट डील किया है इसलिये कैसे माना जावे कि उसके साथ आ जावेगा।

श्री वेदपाल त्यागी— वह तो पार्ट ऑफ दी स्टेट है।

राज श्री हिम्मत सिंह—कमीशन की रिपोर्ट में कुछ न कुछ प्रकाश डालना चाहिये था कि this will include Deoli area too.

श्री हरिकृष्ण व्यास— डील करने की गलती थी।

राज श्री हिम्मत सिंह—बनास कंठा और सांभर कंठा ये जो एरियाज़ हैं इसका हमेशा पालनपुर, ईडर और विजयनगर आदि की तरह राजस्थान से सम्पर्क रहा है। उसके बारे में भी कमीशन की रिपोर्ट बिल्कुल साइलेन्ट है और इस बारे में उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है। उनको बम्बई में क्यों रखा है? इसी तरह से कच्छ के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। इनको क्यों नहीं हमारे साथ मिलाते है? उन्होंने जो सिद्धान्त इसके लिये रखे हैं उसके अनुसार राजस्थान जैसी स्टेट को, जो पाकिस्तान के साथ बोर्डर करती है, हर तरह से मजबूत रखा जावे। उनके फाइनेन्स भी ठीक होने चाहिये, मेन पॉवर भी ठीक होना चाहिये, रिसोर्सेज़ भी अच्छे होने चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि जो हमारे राजस्थान की मांगें थीं कि जिनके शामिल होने से राजस्थान एक सुदृढ़ स्टेट बनती, वह मांग पूरी नहीं की। वे प्रिन्सिपल एक्सेप्ट करते हैं, मगर मांग पूरी नहीं करते। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि इस समय इसका ज्यादा विरोध करना ठीक नहीं होगा क्योंकि आगे चल कर इसका फायदा हम किसी तरह से उठा सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि आगे इसके लिये प्रयत्न जरूर किये जावें ताकि यह हिस्सा भी राजस्थान में शामिल हो।

जैसा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जिक्र किया है कि अजमेर का इलाका डेफिसिट है और राजस्थान में शामिल होने से सभी इस बात को महसूस करेंगे कि राजस्थान पर यह लाएबिलिटि हो जावेगी। उधर राजस्थान को बोर्डर स्टेट मानते हुए उसके फाइनेन्स को भी स्ट्रांग रखने की जरूरत है, इधर एक डेफिसिट स्टेट को हमारे साथ शामिल करके हमारे फाइनेन्स को डेफिसिट करने वाली, कमजोर करने वाली बात हो जावेगी। इस ख्याल से मैं यह समझता हूँ कि अगर राजस्थान को फाइनेन्शियली स्ट्रोंग बनाना है तो हमारा जो मंदसोर का जिला है उसको राजस्थान के साथ शामिल कर दिया जावे। यह उचित मांग है और यह शामिल होना चाहिये और जिस तरह से मंदसोर के बारे में डील किया गया है उससे हमको बिल्कुल संतोष नहीं होता।

साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि और बहुत सारी हमारी मांगें थी जिनमें से लोहारू एरिया तो हमको दे दिया गया लेकिन भिवानी तहसील की जो हमारी मांग थी उसके बाबत कमीशन की रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है।

[श्री हिम्मत सिंह]

सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी मांग है वह दरअसल मंदसोर जिले की है। मंदसोर जिले का राजस्थान में मिलना हर तरह से आवश्यक भी है क्योंकि मंदसोर जिले के मिलने से राजस्थान की फाइनेन्शियल कन्डीशन और भी स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि चम्बल घाटी योजना इसके अन्दर आती है और चम्बल घाटी योजना के लिये भी इस इलाके को राजस्थान में मिलाना निहायत ही जरूरी है।

हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने अजमेर के बाबत जो कुछ इस सदन में आश्वासन दिये हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि उन आश्वासनों से अजमेर को फायदा है और वहां के सब जो कार्यकर्त्ता लोग हैं उन सब को भी विश्वास हो जाना चाहिये कि राजस्थान के अन्दर अजमेर के मिल जाने से जैसा कि वे ख्याल करते हैं उनको कोई आपत्ति पैदा नहीं होगी।

यह रिज़ोल्युशन (प्रस्ताव) तीन हिस्सों में है। एक तो इलाकों का आपस में तोड़ मरोड़ कर मिलाना, दूसरा सेवाओं के बाबत और तीसरा एक वर्ग की स्टेटस रखना। जो कमीशन की रिकमन्डेशन्स हैं कि सब स्टेटस एक ही वर्ग की रखी जानी चाहिये वह बिल्कुल ही उचित है और सब ही चाहते हैं कि इसके अन्दर कोई डिफ्रेन्शियेशन नहीं होना चाहिये।

इसी तरह से सर्विसेज और अन्य अल्प संख्यकों के लिये विभिन्न प्रकार के सुरक्षणों के संबंध में आयोग ने रिपोर्ट के भाग ४ में जो शिफारिशें की हैं उनको स्वीकार करना भी जरूरी है। वैसे तो यों समझना चाहिये कि पहले ही परामर्श कर चुके हैं, जैसा कि समाचार पत्रों में पढ़ा है कि राजस्थान ने इस एस. आर. सी. रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, अब तो यह एक जाब्ते की स्वीकृति है और मैं समझता हूं कि कोई महत्व है नहीं, इसलिये ज्यादा मैं अर्ज नहीं करना चाहता।

श्री मोहब्बत सिंह (भवरी)—माननीय अध्यक्ष, आज वह अवसर आया है जिसकी प्रतीक्षा में हम पांच साल से हैं। सन् १९५२ में जब इस सदन का निर्माण हुआ उस वक्त आबू की मांग के लिये इस सदन के सब माननीय सदस्यों ने एक आवाज से प्रस्ताव पास किया था और वह आपके द्वारा आगे भेजा गया था। आज प्रस्ताव का निर्णय हमें मालूम हो गया है कि यह फलीभूत हुआ। सबसे ज्यादा खुशी हमें आबू के वापिस राजस्थान में आने से हुई है और उससे भी बढ़कर खुशी यह हुई है कि जब हम रिपोर्ट में यह पढ़ते हैं कि :

"The Rajasthan Covernment seems to attach very great importance to the re-transfer of this area"

वास्तव में सच पूछा जाय तो हमें राजस्थान गवर्नमेंट से यह उम्मीद नहीं थी और जैसी कि स्थिति थी और जैसा कि लोग समझते थे कि कहीं हमेशा के लिए हमें आबू से हाथ न धोना पड़ जाय; हम बार बार मुख्य मन्त्रीजी से रिप्रेज़ेन्टेशन करते थे और मुख्य मन्त्रीजी हमें आश्वासन देते

[श्री मोहब्बत सिंह]

थे कि आबू के लिए प्रयत्न हो रहा है। अब हमें विश्वास हो गया है और उसके लिए राजस्थान के वर्तमान मंत्रीमंडल को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान में आबू को वापिस मिलाया। इसी अवसर पर सदन के सब माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनका परिश्रम फला-फूला है।

जो कुछ रिपोर्ट में आया है, मैं आपको एक सेन्टेन्स पढ़ देता हूँ और वह जैसा कि इस एस. आर सी. की रिपोर्ट में आया है कि "Rajasthan has a legitimate claim to the Abu Road Taluka and this claim should be recognised" लेकिन अब इस अवसर पर मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आबू का एरिया मिल जाने से हमारी सब प्रोब्लेम्स हल नहीं हो जाती हैं। आबू के मिल जाने से राजस्थान की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं और अब वहां की जनता दोनों तरह से नाप-तोल करेगी कि बम्बई में हम ठीक थे या राजस्थान में क्योंकि वहां की जनता बम्बई के शासन को भी देख चुकी है और इसलिए राजस्थान सरकार को विशेष रूप से आबू के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। आबू के आने से खर्च का भार अधिक पड़ा है लेकिन राजस्थान की शान रखने के लिए खर्चा करना ही पड़ता है।

मैं संक्षेप में सदन को बताना चाहूंगा कि जब एस. आर. कमीशन आबू आया था तो हमारा शिष्ट मंडल कमीशन से मिला था। हम सिरोही के तीन एम. एल. ए. थे और एम. पी. श्री हरिश्चन्द्रजी माथुर भी थे। मैं श्री हरिश्चन्द्रजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे केस को बहुत अच्छी तरह से कमीशन के सामने रखा। कमीशन ने कहा,

"Well, Mr. Mathur has placed your case very nicely"

इसमें जो मोटी बातें हुई वे मैं आपके सामने निवेदन कर दूँ। कमीशन ने चार दलीलें दीं। पहली दलील यह है कि आबू ट्युरिस्ट स्थान में आता है। हरिश्चन्द्रजी ने उत्तर दिया कि अगर जिस तरह से काश्मीर का फैसला करना है तो उसी तरह से आबू का भी फैसला कर लीजिये। इस पर कमीशन मुस्कराया। उसके बाद ट्रेड के सम्बन्ध में बात हुई। आबू के ट्रेड रिलेशन्स गुजरात के साथ हैं। तो इन्होंने जिक्र किया कि जोधपुर का पत्थर हिन्दुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति अपना घर बनाने के लिये मंगाता है और इसका मतलब इससे पूरा होना चाहिए। इसके बाद बनास रिवर का सवाल आया। उसका उल्लेख रिपोर्ट में भी है। उस पर उन्होंने हमारी राय जाननी चाही। उस पर उन्होंने बताया कि बनास रिवर के लिए भी वैसा ही हो सकता है जिस तरह से भाखरा, चम्बल आदि के लिये हुआ है। दोनों सरकारें सिस्टर स्टेट्स हैं और सिस्टर स्टेट्स में ऐसा हो सकता है। और चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण थी जनता की राय के सम्बन्ध में। उसके लिये, उन्होंने कहा कि बम्बई सरकार अब तक नोमिनेटेड म्युनिसिपेलिटी नहीं बना सकी है और इलेक्शन नहीं करवा सकी है और न लोकल बोर्ड के इलेक्शन ही करवा सकी है, न विलेज पंचायत ही बना सकी है क्योंकि बम्बई सरकार भलीभाँति जानती थी कि राजस्थान विचारधारा के लोग इनमें आवेंगे; जब कि वहां प्रत्येक जगह इलेक्शन हुआ था किन्तु इन इलाकों में इलेक्शन नहीं हुआ। अतः मैं आप सब को वहां की जनता की ओर से धन्यवाद अर्ज करता हूँ।

रावत श्री शंभूसिंह (सहाड़ा)—माननीय अध्यक्ष, एस. आर. सी. की रिपोर्ट पर माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उसका कुछ संशोधनों के साथ समर्थन करता हूँ। सीमा आयोग ने राजस्थान की एकता को अक्षुण्ण रखते हुए जो रिपोर्ट दी है उस पर हमें साधारणतया प्रसन्नता होती है क्योंकि राजस्थान एक बोर्डर स्टेट है और बोर्डर स्टेट की युनिटी को कायम करना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे देश की युनिटी को कायम रखना है।

भारतवर्ष की सीमा से लगा हुआ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बोर्डर से राजस्थान का बोर्डर सब से ज्यादा लगता है। तो इस तरह से राजस्थान भारतवर्ष में एक बफर स्टेट की तौर पर काम देता है। इस वास्ते राजस्थान को हर सूरत से प्रोस्परस और एकत्रित रहना बहुत आवश्यक है। राजस्थान की प्रोस्पेरिटी के वास्ते राजस्थान में कुछ इलाकों का मिलाया जाना बहुत जरूरी है और हमें यह देख कर कुछ असन्तोष हुआ और हम इस बात पर सन्तोष प्रकट करते हैं कि जिन हिस्सों का राजस्थान में मिलाया जाना जरूरी था और जिन हिस्सों की राजस्थान में मांग थी उनको राजस्थान में नहीं मिलाया गया।

राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रान्त है। इसका बहुत ज्यादा हिस्सा मरु प्रदेश है और यहां उत्पादन बहुत कम होता है। तो हमें ऐसे प्रदेश को प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है जिसमें बहुत ग्रेनरी हो। हमारे राजस्थान में मरु प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जहां दो-तीन वर्ष से अकाल पड़ता ही रहता है? यहां वर्षा का एवरेज भी बहुत कम है। यहां के लोगों के भरण-पोषण का भार राजस्थान के दूसरे हिस्सों पर रहता है: इसलिए वहां के वास्ते यह आवश्यक है कि राजस्थान के पास ऐसे हिस्से हों कि जिन हिस्सों की राजस्थान ने मांग की थी उन हिस्सों को इसमें मिलाया जाय। उन हिस्सों को लेकर यह राजस्थान क्षेत्र स्वावलम्बी बन सकता है और इस क्षेत्र के भरण-पोषण की व्यवस्था भी हो सकती है।

राजस्थान में आबू का मिलाया जाना वास्तव में एक न्यायोचित मांग थी, इसके लिए हमें पूर्ण हर्ष है और इस सम्बन्ध में मैं वर्तमान मंत्री-मंडल की बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ।

आबू सांस्कृतिक, भौगोलिक और हर दृष्टि से राजस्थान का भाग रहा है। यह अनुचित एवं अन्यायपूर्ण बात होती यदि आबू-राजस्थान से पृथक कर दिया जाता। इसी प्रकार अजमेर भी राजस्थान के बीच में एक स्थान है और उसके चारों तरफ राजस्थान है, अतः वह राजस्थान से किसी भी प्रकार बाहर नहीं रह सकता। अगर हम इस संबंध में पहले की ऐतिहासिक बातें देखें तो हमें पता चलेगा कि हमेशा से राजस्थान का अंग अजमेर रहा है। अजमेर पर पहले महाराणा कुम्भा ने अधिकार कर लिया था। इस प्रकार वह बहुत समय तक मेवाड़ के अधिकार में रहा। उसके बाद वह मारवाड़ के अधिकार में आया और राजस्थान का बहुत अर्से तक शासन चलता रहा। अजमेर राजस्थान से तब पृथक हुआ जबकि राजस्थान में विदेशी शक्तियों ने प्रवेश किया। वे शक्तियां मुस्लिम शक्तियां और ब्रिटिश शक्तियां थीं। इन शक्तियों ने अजमेर को पृथक रखना आवश्यक समझा क्योंकि वह उनका सैनिक गढ़ बना रहे और उससे वे राजस्थान का शासन प्रबन्ध कर सकें।

Page No.29

[रावत श्री शम्भूसिंह]

मगर आज जब कि हमारे मुल्क में विदेशी सत्ता नहीं है, आज हमारे प्रान्त में राष्ट्रीय सरकार है तो फिर इस चीज की कतई जरूरत नहीं थी कि अजमेर को पृथक राज्य के रूप में रखा जाय और वहां सैनिक अड्डा कायम किया जाकर राजस्थान पर दृष्टि रखी जावे। तो जिस प्रकार विदेशी शक्तियों के आने से पहले अजमेर राजस्थान का अंग था उसी प्रकार अब भी होना सर्वथा उचित ही है।

माननीय मुख्य मंत्री ने अजमेर की समस्याओं के बारे में जो कुछ बातें कहीं और जो उनका समाधान बताया वह ठीक है किन्तु अजमेर में जो सब से बड़ी समस्या है वह है वहां के रिफ्युजीज को बसाने की। आज अजमेर में शरणार्थियों की बहुत बड़ी संख्या है। जहां तक मैं समझ पाया हूँ अजमेर ही एक ऐसा स्थान है जहां भारतवर्ष के अन्य स्थानों की अपेक्षा रिफ्युजीज बहुत ज्यादा तादाद में आए। मेरा अनुमान है कि अजमेर की आबादी रिफ्युजीज से दुगुनी से ज्यादा हो गई है। राजस्थान को उन रिफ्यूजीज़ का समाधान करना है, उनके पुनर्वास का राजस्थान सरकार को प्रबन्ध करना है। इन रिफ्यूजीज के पुनर्वास का प्रश्न अब तक अजमेर राज्य के सामने हमेशा एक समस्या बन कर रहा है और अब वही समस्या रिफ्यूजीज़ की राजस्थान सरकार के सामने आने वाली है। इस समस्या को बहुत सन्तोषजनक रूप से हल करना है। यह संभव नहीं है कि तमान रिफ्युजीज़ को एक ही प्रोफेशन में लगाया जाय। उनमें से कई शरणार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिनको खेती के काम में लगाना होगा। उनके लिए हमें जमीन देने का प्रबन्ध करना होगा। हमने कुछ दिनों पहले कोलोनाइजेशन बिल पास किया है जिसके अन्तर्गत हमें कोलोनीज़ बनानी पड़ेंगी जिनमें रिफ्यूजीज़ को रखा जा सकता है। यह समस्या राजस्थान सरकार के सामने आनी वाली है।

मन्दसोर इत्यादि क्षेत्रों के बारे में जहां खेती के योग्य जमीन काफ़ी हैं राजस्थान के पास रहनी चाहिये। हमारे राजस्थान में रिफ्युजीज़ की बहुत बड़ी संख्या है। जो शरणार्थी खेती करना चाहें उनको वह जमीन दी जा सकती है दूसरे धन्धों में भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम इस शरणार्थी समस्या का हल कर सकते हैं। मन्दसोर मध्य भारत में पहले कभी नहीं रहा। वहां पहले मरहटों का दौर दौरा होने के बाद मेवाड़ से यह लिया जाकर इसको मालवे में मिलाया गया वैसे भी मध्यभारत का मन्दसोर जो हिस्सा है वह भाषा और सांस्कृतिक दृष्टि से, राजस्थान का एक हिस्सा रहा है। वहां जो भाषा बोली जाती है वह राजस्थानी भाषा है, डायलोग में कुछ फर्क हो सकता है। जहां तक भाषा का प्रश्न है वहां राजस्थानी बोली जाती है इसलिये इस इलाके का राजस्थान में मिलाना आवश्यक है। राजस्थान मे भाषा का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना दूसरे किसी अन्य भाषा भाषी राज्य में हो सकता है। इस वास्ते मैंने एक संशोधन भी रखा है जब वह सदन के सामने आयगा उस वक्त मैं अपने विचार प्रगट कर सकूंगा।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास तो आपका कोई संशोधन नहीं है।

रावत श्री शम्भूसिंह—अभी अभी मैंने सेक्रेटरी साहब को दिया है।

श्री अध्यक्ष—जब कि यह कार्य क्रम आपको आठ दस रोज पहले सकुलेट हो चुका था तो आपको अपना संशोधन भी पहले देना चाहिये था। It must come in time and all the members must be apprised of it.

रावल श्री शम्भूसिंह—चूंकि मेरे संशोधन को रूल आउट कर दिया है इसलिये मैं मूल प्रस्ताव पर ही अपने विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं। मेरे जो कुछ भी विचार थे वह मैंने इस प्रस्ताव के जनरल डिस्कशन के सिलसिले में अर्ज कर दिये है। अब मैं इस बात पर जोर देता हूं कि मन्दसौर का जो जिला है वह हर दृष्टि से राजस्थान का हिस्सा रहा है, अतः इस हिस्से को राजस्थान में मिलाया जावे। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास (जोधपुर 'बी')—अध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करते समय यह आवश्यक नहीं कि हम केवल अपने प्रान्त के सिलसिले में ही अपने विचारों को दृष्टिगत करें।

श्री अध्यक्ष—This House is concerned only for Rajasthan.

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रस्ताव में राजस्थान का ही उल्लेख है परन्तु ......

श्री अध्यक्ष—We are discussing the Resolution put by the Cheif Minister.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am submitting that to this sextent it is defective in as much as it has failed to take note of this.

श्री अध्यक्ष—We will be going out of our jurisdiction

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी) थोड़ा सा उल्लेख कर दूं और यह इसलिये आवश्यक है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में १६ राज्यों में से लगभग १४ राज्यों के बारे में भाषा वार पुनर्गठन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है और राजस्थान के बारे में भी जो कुछ परिवर्तन हो पाया है वह इस वजह से कि कमीशन के दिमाग में कम से कम, उसके अमल में यह बात प्रभाव शाली रूप से रही। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी है, जिसका असर आज अध्यक्ष महोदय, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हमें नजर आ रहा है। आज जब हम इस विधान सभा में बैठ कर इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं तो इसके कुछ दिनों पहले बम्बई विधान सभा ने भी उस पर विचार किया था दो दिनों पहले और जैसा कि आज सर्व विदित है, बम्बई में संयुक्त महाराष्ट्र को अलग करने के बारे में जो आन्दोलन चल रहा है और उसका जो निहित प्रभाव है

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—मैं समझता हूं कि जो अन्य प्रान्तों से सम्बन्धित बातें है उनका यहां जिक्र नही करना चाहिये और वह उचित भी नहीं होना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिक्र तो पूरा हो गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आगे आप जो कह रहे हैं वह नहीं कहें।

श्री अध्यक्ष—It wiil not look weil for this House to say something or other about other States.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am not saying for this House. I am saying for myself.

श्री अध्यक्ष—You should not avail of this House as a public, platform.

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो बात मुझे कहनी थी वह तो मैं कह ही चुका।

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble Member is not prepared for this.

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am quite prepared for the operative part; Sir, but जो मुझे बात कहनी थी वह तो मैं कह ही चुका हूं। उसको वापिस लेना तो सम्भव नहीं है क्योंकि उसी वजह से ६ लोग गोली के शिकार हो चुके है और एक गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गई है।

एक माननीय सदस्य—It is not concerned with us.

श्री अध्यक्ष—Order please!

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपसे कन्सर्न्ड न हो, लेकिन जो स्थिति इससे पैदा हुई है वह तो है ही।

(विराम)

जहां तक राजस्थान का ताल्लुक है इसमें कोई शंका नहीं कि राजस्थान की सीमाओं के बारे में जो भी सुझाव आयोग ने दिये हैं उन पर इस प्रस्ताव में संतोष प्रकट किया गया है और वैसे संतोष प्रकट किया ही जाना चाहिए लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा संतोष प्रकट करने की आवश्यकता है कमीशन की उस सिफारिश पर जिसके जरिये राजस्थान का बहुत बड़ा भला होने वाला है और जिसके लिए राजस्थान सरकार हिम्मत नहीं कर पाई, जो राजस्थान के लोक-नेता कहाने वाले नेताओं की कलम से पहले निकल चुकी, लेकिन बाद में उनका हाथ रुका गया और कमीशन ने एक स्थिति पैदा की और उस दकियानूसी, बेकार और पिछड़ी हुई प्रणाली

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

का, राजप्रमुख के पद का अन्त किया और राजस्थान को 'ए' श्रेणी का राज्य रखा जाय, इस प्रकार की सिफारिश की। इस प्रस्ताव में इस बात की बड़ी कमी है। अध्यक्ष महोदय, उस पर संतोष तक प्रकट नहीं किया है। दरअसल इस बात पर कमीशन को धन्यवाद देना चाहिए कि न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से यह कदम उठाया है लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी कुछ न कुछ राजस्थान को फायदा हुआ है, पंचवर्षीय योजना में कुछ प्राप्ति हुई है। इस पार्ट के स्वीकार हो जाने की वजह से। तो राजस्थान में अमुक क्षेत्र मिला अथवा अमुक क्षेत्र नहीं मिला इस प्रश्न को मैं नम्बर दो का महत्व देता हूं। पहले नम्बर को मैं महत्व देता हूं जिसमें राजस्थान का स्टेटस बताया गया है, स्तर बताया गया है और कमीशन की रिपोर्ट द्वारा उस दकियानूसी प्रथा का अंत होकर एक मार्ग बताया गया है और जिसको छिपे २ रूप में इस प्रस्ताव में प्रकट किया गया है। इस प्रस्ताव पर संशोधन की स्थिति पैदा की जाय, मैं यह माननीय मुख्य मंत्री जी पर ही छोड़ूंगा कि मेरे इन विचारों को वे किसी प्रकार प्रस्ताव में एड करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले नम्बर की सिफारिश कमीशन की रिपोर्ट में है उनको सहर्ष पूरा करना चाहिए।

आबू के बारे में अथवा अजमेर के बारे में या सुनेल-लोहारू और जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा ये जो अंग हैं, मेरा ऐसा ख्याल है कि सिवाय इसके और कोई दूसरा निर्णय ठीक तरह से विचार करके नहीं दिया जा सकता था। विशेषकर आबू के बारे में जो निर्णय आज हो पाया है वह मैं भी मानता हूं कि बम्बई के बीच में और राजस्थान के बीच में कोई झगड़े का प्रश्न नहीं था; वह तो एक उसूल के आधार पर कुछ क्षेत्र को इधर या उधर करने का प्रश्न था, चाहे शब्दों में हो या न हो लेकिन अमल में सीमा आयोग ने उसे स्वीकार किया है कि भाषा और संस्कृति प्रमुख सीमा निर्णयों के बारे में मानी जानी चाहिए। आबू क्षेत्र राजस्थान का अभिन्न अंग है, इसके लिए विशेष रूप से संतोष प्रकट करना चाहिए और जो दृष्टिकोण आबू के लिए बताया गया है और सिरोंज को मध्यभारत में देने के लिए बताया गया है उस पर संतोष होना चाहिये। अलबत्ता सिरोंज के क्षेत्र के साथ साथ उन एम. एल. ए. का भी ट्रान्सफर होने की नौबत आ जाय तो, मैं नहीं कहता कि उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी यह चाहते हैं कि सिरोंज के एम. एल. ए. का ट्रान्सफर भी हो जाय तो उनको कोई एतराज नहीं मालूम होता।

अजमेर के बारे में उल्लेख किया गया, अध्यक्ष महोदय, इस बात में दो राय नहीं है; न सिर्फ वह राजस्थान में है और न वह अजमेर में है कि राजस्थान और अजमेर मिल कर एक क्षेत्र के रूप में रहें। अजमेर के कुछ क्षेत्रों में असंतोष था लेकिन वह इस बिना पर था कि राजस्थान में राजप्रमुख की प्रणाली है और यह उनके दिमाग में शंका पैदा करती थी कि कुछ ऐतिहासिक कारणों से आगे बढ़ा हुआ था और वह अब पुरानी प्रणाली पर चला जायगा। लेकिन यह संतोष की बात है कि विलय के प्रश्न के साथ साथ राजप्रमुख के प्रश्न का भी इस दृष्टिकोण से हल हो गया।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मुख्य मंत्रीजी ने जिक्र किया स्टेट के बारे में अथवा सेवाओं की तनख्वाह और अलाउन्सेज़ के बारे में कि किसी भी रूप में मौजूदा अजमेर के रहने वालों की उस क्षेत्र के लोगों की कोई कमी नहीं की जायगी। इस पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि अजमेर राज्य में रहने वाले हमारे भाइयों के दिलों में सन्तोष होगा। क्या ही अच्छा होता कि इसके साथ साथ यह भी घोषणा यहां की जा सकती होती कि सिर्फ अजमेर की पे स्केल को कम करने का प्रश्न नहीं उठता है बल्कि कम से कम क्लास फोर सर्वेन्ट्स के लिये, स्टाफ के लिए, चपरासियों के लिए अथवा मामूली तनख्वाह पाने वाले व्यक्तियों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी यह घोषणा करते कि अजमेर के राजस्थान में विलय के हर्ष में राजस्थान भी, जो स्केल अजमेर राज्य में है, चाहे वर्तमान में बड़ी सेवाओं के लिए सम्भव न हो; किन्तु जो छोटे २ वर्ग के कर्मचारी हैं, चपरासी हैं, स्टाफ हैं, ऐसे लोगों के लिए वे ही स्केल्स् राजस्थान में लागू कर देंगे। उससे न सिर्फ अजमेर के लोगो को ही, बल्कि राजस्थान के कोने कोने में भी हर्ष होता और यह संतोष का विषय होता।

अध्यक्ष महोदय, यह समस्या इतनी ही नहीं है कि अजमेर के मौजूदा मुलाजिम जो हैं उन्हें क्या स्केल्स मिल रही हैं बल्कि उनके प्रोटेक्शन का प्रश्न है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। यहां के राज्य कर्मचारियों के स्केल्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, राजस्थान सरकार को इस समस्या पर विचार करना पड़ेगा। सीमा आयोग की सिफारिशों ने घंटी बजा कर यह चीज हमारे सामने रख दी है कि राजस्थान के क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स जिनको निम्नस्तर में गिना जाता है वह किसी हालत में कम से कम अब मौजू नहीं कहा जा सकता। एक चपरासी अजमेर राज्य में काम करने वाला ७०) रुपया कुल मिला कर ले और राजस्थान में उसी काम करने वाले चपरासी को ४५) या ५०) रु० से आगे बढ़ने की गुंजायश नहीं है। रेलवे में काम करने वाला मुलाजिम, एक अध्यापक, जो अजमेर राज्य में पहले काम करता था वह १२०) रुपया माहवार ले और राजस्थान में वही शिक्षक ५०), ६०) रुपये में अपनी आजीविका चलाने के लिये मजबूर किया जाय, तो यह संभव नहीं हो सकता। इसके लिये इस बात को तफसीलवार खुलासे से चर्चा की गई माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा कि राजस्थान में आमतोर से अजमेर में काम करने वालों की स्थिति वही होनी चाहिये जो आज उनकी अजमेर में है। इसके साथ ही साथ अगर वे यह भी घोषणा कर देते तो राजस्थान के छोटी तनख्वाह पाने वाले मुलाजिमों के दिल में तसल्ली और संतोष पैदा कर सकते थे।

जहां तक क्षेत्र का सम्बन्ध है मैं यह अर्ज करूंगा, अध्यक्ष महोदय कि हमें इस दृष्टिकोण को उसूल में स्वीकार करना चाहिये कि भाषा मुख्य तौर पर हमारा आधार हो और एक भाषा भाषी क्षेत्र के लोग कांटिग्युअस स्थिति में हैं तो उनको एक राज्य में रखा जाय, परन्तु किसकी कांटिगुअस टेरीटरी कौनसी है, कहां के लोगों की हिन्टरलैंड कोनसी है, आगे का प्रदेश कौनसा है, इस प्रकार के गलत आधार को हमने मानना स्वीकार किया या अपने पक्ष में मनवाने की कोशिश की तो फिर हम स्लिपरी ग्राउण्ड में इस सारे वाद-विवाद को ले जावेंगे।

[श्री हरि कृष्ण व्यास]

हमें सीमा के साथ साथ भारत की एकता को कायम रखना है; वह एकता जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ते लड़ते कायम हुई थी उसको कायम रखना है। आपस में भाई-चारे की नीति से इसको सुलभा रखें, तो वैमनस्य का प्रश्न ही नहीं उठे। मैं समझता हूँ कि आज यह मौका नहीं है कि कुछ विशेष क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह कहें कि वह क्षेत्र हमें मिलना चाहिये, अमुक क्षेत्र भाषा की दृष्टि से अमुक प्रान्त में मिलना चाहिये। आज राजस्थान के इस प्रकार से नवीन रूप में एकीकरण के समय में यह कहना आवश्यक समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि यह बड़े सौभाग्य की बात है जैसा कि माननीय मुख्यमंत्रीजी ने कहा। राजस्थान की जनता की सही भावना है कि उसको ले लिया गया पर साथ साथ इसके लिये इतना संतोष करते समय हमें यह जरूर ध्यान में रखना चाहिये कि कौनसे उसूल को मान कर इस नवीन रूप में राजस्थान का समावेश हो पाया इसमें भाषा का महत्व रहा है। जिस राजस्थान के क्षेत्र के बारे में, नवीन एकीकरण के बारे में समादर पेश किया जा रहा है, उसकी बुनियाद मातृ भाषा है। बच्चा पैदा होने के बाद जिस भाषा में अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करता है, जिस भाषा में राजस्थान के लोग आपस में अपने विचारों का आदान-प्रदान कर पायें, जिस भाषा में उनकी शिक्षा हो सके, सांस्कृतिक उन्नति हो सके, उनकी उन्नति, प्रगति और ज्यादा फैलाव के लिये राजस्थान सरकार बिल्कुल प्रयत्नशील नहीं है। तो सीमा आयोग के इस निर्णय का समाधान व्यक्त करते समय, खुशी व्यक्त करते समय मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्रीजी इस विषय में सफाई करने के लिये चर्चा करें, नहीं तो यह हमारे लिये असंतोष की बात होगी कि राजस्थान बनाने के लिये संतोष व्यक्त करें और उस स्थान की जो भाषा है उसके लिये कुछ न कहें।

और अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहूँगा कि जो एक अंग प्रस्ताव का है सेवाओं के बारे में, उस अंग को अभी विचार-विनिमय के लिये छोड़ने का उल्लेख जो प्रस्ताव में किया गया है मैं नहीं समझता कि इस प्रकार उल्लेख करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जो सिफारिश करने का प्रश्न है वह भी एक टार्गेट है, उद्देश्य है, एक ध्येय है जिसके लिये हमें चलाना है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, ऑडिट एन्ड एकाउन्ट्स सर्विसेज का भारत में एकीकरण है और अब चूंकि औद्योगिक विकास के बारे में विशेष ध्यान दिया जा रहा है व कोमर्शियल अन्डरटेकिंग में काम करने वालों का सारे भारत में एकीकरण करने का विचार चल रहा है तो मैं नहीं समझता कि राजस्थान की विधान सभा को एक प्रस्ताव के रूप में ऐसा रुख क्यों न लेना चाहिये कि आगे चल कर इस प्रश्न पर विचार किया जाय, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसे स्वीकार करना चाहिये। सांस्कृतिक प्रादेशिक चीजों को छोड़ दीजिये, जन सेवाओं को अखिल भारतीय रूप से एकीकरण करने की बात को कि एक हों, इसको आगे विचार-विनियम के लिये छोड़ना, मैं आवश्यक नहीं समझता। इन शब्दों के साथ मेरा यह ख्याल है कि विधान सभा की ओर से यह सुझाव लाना चाहिये कि अब जल्दी से जल्दी इस सिफारिश पर विचार किया जाय।

संतोष जरूर व्यक्त किया गया राय व्यक्त की गई पर राय का एक अंग है कि जिस चीज से संतोष है उसे लागू करने के बारे में भी उसे मानने को तैयार हों तो एक ओपरेटिव पार्ट और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जोड़ देना चाहिये था कि जल्दी से जल्दी लागू किया जाय और एकीकरण के समय जो खामियां रह गई हैं उनको जल्दी से दूर किया जाय।

तो अध्यक्ष महोदय, इन कुछ विशेष चीजों का उल्लेख करते हुए और एक तरह से अप्रत्यक्ष रुप से प्रस्ताव में संशोधन विचार के लिये प्रस्तुत करते हुए मैं इस प्रस्ताव का मूल रुपसे समर्थन करता हूं और मैं यह समझता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये है उनके साथ में यह प्रस्ताव राजस्थान के हर नागरिक की भावना से मेल खाने वाला प्रस्ताव है।

श्री देवीसिंह (उदयपुर)—अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सामने मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

आज हमारे सामने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है और उसमें जो कमीशन ने रिकमन्ड करके राजस्थान को कुछ हिस्से दिये हैं उसके बारे में हमारे बहुत से सदस्य बोल चुके हैं। इसके अलावा नम्बर दो यह कार्य किया कि हमारे राजस्थान प्रान्त को 'बी' श्रेणी से लेकर 'ए' श्रेणी में स्थान दिया और नम्बर तीन यह कि जो कुछ इस प्रान्त ने राजस्थान के हिस्सों की मांग की थी, जिनके लिये उन्होंने उचित समझा कि वे हिस्से राजस्थान में ही रहने चाहिये; इन तीनों चीजों को लेकर मैं कमीशन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान की तीनों ही बातें राजस्थान के लिये उपयुक्त मान कर रखीं।

उसके बाद जो प्रस्ताव हमारे सामने आया और मुख्य मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया कि आबू और जो जो आ रहे हैं उनके साथ किस प्रकार से बर्ताव होगा वगैरह वगैरह; जिसके लिये मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं। इनके साथ ही मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में जो हिस्सा आया है उसके साथ खुले दिल से हमें हमारी सद्भावना बतानी चाहिये और इसके लिये अजमेर को राजस्थान का छठा डिविजन बनायाजाना चाहिये। इन चीजों के निवेदन करने के बाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अभी फरमाया था कि हमें अभी और कुछ नहीं मांगना चाहिए। यह उनका फरमाना ठीक है, पर मेरा नम्र निवेदन है कि हमारी जो मांग थी; उसमें मंदसौर के इलाके के लिये भी मांग थी और हमारी वह मांग हर दृष्टि से उचित थी और अगर उसको दोहराया जावे तो मैं समझता हूं कि वह अनुचित नहीं होगा। अगर आप हमारे राजस्थान के इतिहास को उठा कर देखें तो हमको यह मिलता है कि जब शिविंगनी राजा था उस समय यह चित्तौड़ के पास माध्यमिका नगर की राजधानी था। मुगलों के शासन काल तक वहीं रहा। उसके बाद वह मेवाड़ के पास रहा और उसे फिर जगतसिंह द्वितीय ने अपने भानजे माधोसिंह को दिया था। १८०७ में सिन्धिया का आक्रमण होता है। जयपुर के ईश्वरीसिंह को परास्त करके माधोसिंह को राजा बनाया और उस समय सिन्धिया ने फौजी खर्च मांगा तो जयपुर के पास फौजी खर्च देने को नहीं था - इसलिए उन्होंने फौजी खर्च के एवज में मंदसौर का इलाका

[श्री देवीसिंह]

उन्हें दे दिया और वह भी इस शर्त पर कि जब फौज खर्च चुक जावे तो यह इलाका वापिस लौटा दिया जावे। फौज का खर्च चुक गया लेकिन जयपुर के नरेश इस योग्य नहीं थे कि वे वापिस मंदसौर उनसे ले सकते। सिन्धिया बहुत शक्तिशाली था इसलिये उसने फौज का खर्च चुक जाने के बाद भी जयपुर को मंदसौर नहीं लौटाया और वह सिन्धिया के पास रहा। इतिहास को छोड़ कर संस्कृति के हिसाब से भी आप देखें तो हमारे भारत के भाषाओं के सबसे बड़े विद्वान सुनीति कुमार चटर्जी, जो भारतीय भाषाओं के एक मात्र ओथारिटी हैं उन्होंने भी यह साफ लिखा है कि मंदसौर की भाषा राजस्थानी भाषा का ही एक अंग है। इसलिये भाषा की दृष्टि से देखते हैं तो भी यह हमारे राजस्थान का एक हिस्सा रहा है। दूसरी दृष्टि से भी अगर आप देखें तो यह राजस्थान का ही अंग रहता है; जैसे प्रतापगढ़ और झालावाड़ का हिस्सा है उसी तरह यह भी रहता है। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें कि यह २०० वर्षों से मध्यभारत के साथ रहा है, तो मैं यह कहूँगा कि अब वह मध्यभारत नई रिकमन्डेशन्स के अनुसार खत्म हो गया है और अब मंदसौर की जनता राजस्थान में आना चाहती है। आज मैंने सुना है कि पहले वह राजस्थान में आना नहीं चाहती थी लेकिन अब नया मध्य प्रदेश बना है तब से वह उसमें रहने के बजाय राजस्थान में आना पसन्द करती है।

इन सब चीजों को देखते हुए और नया मध्य प्रदेश बना है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से मंदसौर का इलाका बहुत दूर पड़ता है। वह राजस्थान के साथ ज्यादा अच्छी तरह से एडजस्ट हो सकता है इसलिए मेरा यह नम्र निवेदन है कि मुख्य मंत्रीजी अगर उचित समझें तो इसको प्रस्ताव में सम्मिलित कर लें कि राजस्थान की जनता इसको चाहती है। इन्हीं विचारों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री बद्रीलाल शर्मा (प्रतापगढ़-निम्बाहेड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। सीमा आयोग की रिपोर्ट मैंने देखी और जहां तक राजस्थान का ताल्लुक है, यह रिपोर्ट स्वागत करने योग्य है। तीन बातें इस रिपोर्ट में राजस्थान के हित में हैं।

एक बात तो यह कि राजस्थान जो अब तक 'बी' स्टेट थी, आयन्दा इसको 'ए' स्टेट होने का सौभाग्य प्राप्त होगा।

दूसरी बात यह है कि राजप्रमुख की प्रथा को समाप्त करने की भी इस कमीशन ने सिफारिश की है। हमारी कई दिनों से यह मांग थी कि राजप्रमुख प्रथा को समाप्त किया जावे। कुछ समय पहले एक सदस्य ने यह फरमाया था कि इस तरफ के हम इस मामले में बिल्कुल खामोश थे। यह बात नहीं थी, हम इस सम्बन्ध में काफी अर्से से उत्सुक थे कि राजस्थान को 'ए' स्टेट कायम किया जावे।

[श्री बद्रीलाल शर्मा]

आबू का प्रश्न भी कई दिनों से हमारे सामने था और हम बड़े चिन्तित थे कि आबू हमसे बम्बई वाले ले गये । आयोग ने रिकमन्ड किया है और राजस्थान का हक उसको दिया है और राजस्थान के हक में फैसला दिया है; यह भी स्वागत के योग्य है ।

जहां तक मंदसौर के सिलसिले में जिक्र किया जा रहा है कि यह राजस्थान में मिलना चाहिये था या मध्यप्रदेश में, तो मंदसौर से जितना मैं वाकिफ हूँ दूसरा कोई नहीं, क्योंकि मैं पड़ौस में हूँ । मंदसौर जिले के लोगों की, जहां तक कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई थी तब तक यह नीयत थी कि वे मध्यभारत में ही रहें । लेकिन कमीशन की रिपोर्ट के बाद जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मध्य भारत नाम की कोई रियासत नहीं रह रही है और वह मध्य प्रदेश में चली गई है और उसकी राजधानी जबलपुर बनाई जायगी तब उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए राजस्थान में मिलना ही अच्छा था । बाद में यह भी हुआ कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हुई । जहां तक मंदसौर की पब्लिक का प्रश्न है, मैं यह कहूंगा कि वे राजस्थान में मिलना ज्यादा पसन्द करते हैं । इसलिए अगर यह रिकमण्ड किया जावे कि वहां की जनता राजस्थान में मिलना चाहती है तो उनकी निगाह आज भी राजस्थान विधान सभा के जलसे की तरफ लगी हुई है कि राजस्थान विधान सभा क्या राय देती है ?

इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अपील करूंगा कि मन्दसौर के लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए आप जैसा उचित समझें वैसा करें; बाकी उचित तो यही होगा कि मन्दसौर जिला राजस्थान में मिलाया जाय ।

इसके साथ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भाइयों को भी मुबारिकबाद दिये बिना नहीं रह सकता, चूंकि रिपोर्ट के पब्लिश होते समय इस प्रकार की चर्चायें चल रही थीं कि बम्बई वाले चाह रहे थे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा बम्बई प्रान्त में मिलें और इससे परेशानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हो रही थी, लेकिन कमीशन ने ऐसी रिपोर्ट दी जिससे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान में ही रहें, यह बात स्वागत करने योग्य है ।

अतः मैं यह अर्ज करूंगा कि कमीशन की रिपोर्ट, जहां तक राजस्थान का ताल्लुक है, स्वागत करने योग्य है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है वह पास करने योग्य है ।

श्री श्रीमानसिंह (रूपबास)—Mr Chairman, Sir, I wish I was in a position to comment on the Resolution put forw?rd before this House by the Chief Minister. Moreover, hailing frcm Bharatpur District, I wish I was in a position to comment the States Recrganisation Report to the people of Bharatpur at large. If we see the criteria that had deen placed by the Commission before re-drawing this map of India, we will come to the conclusion that there is no ground for the Districts of Bharatpur and Dholpur to remain as parts of Rajasthan.

[श्री श्रीमानसिंह]

The first criterion that the Commission placed before it was the essential unity of India. The unity of India will not be affected by this because this is a rather very minor adjustment and by giving Bharatpur and Dholpur to U.P. or by agreeing with Mr. Panikkar's Note of Dissent in dividing the Uttar Pradesh and forming a new Agra State there will be no disturbance or danger to the federal unity of India. In a federation the units must be of a similar size. I must draw attention of this House to the large population and large area of U.P. There is a very strong case for the division of U.P. But Mr. Panikkar lost sight of the fact that he did not include Bharatpur and Dholpur in the new Agra State.

The Second point that was placed before them was the linguistic point. The linguistic point they had emphasised as predominant in Rajasthan but at places, if this report is gone through throughly, we will come to the conclusion that the Report is contradictory. At one place the frarmers of the Report have clearly admitted that Rajasthani is a language, and if per chance, local feelings, local patriotism grows in Rajasthan and they adopt Rajasthani as the State language, then the people of Bharatpur and Dholpur will be at a loss. They will not be able to follow or to keep pace with or understand the working of the Government. The whole Report admits that the administration of a State or Unit must be conducted in the language of the people. Then the language of the people of Bharatpur or Dholpur will not be the same. Therefore, there is a strong case for Bharatpur and Dholpur going to the area with which their language coincides and that is only the new Agra State.

Now the third point of view, that is the economic point of view and financial point of view. From this point also it has been the sad experience with Rajasthan that it has always remained a deficit area. Moreover, the inclusion of Ajmer will rather enhance its financial difficulties. In the plan, Bharatpur and Dholpur, with due apologies, throughout have been treated very stepmotherly probably because of its few members in the Legislature, or whatever it is. Therefore, economically, in production of crops and other vital matters Bharatpur and Dholpur is a self-sufficient area and it must go to the new State of Agra.

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

Another point that the Commission has brought out is that a border State must be strong. I fully agree with it. Though there are other points of view also but the border States can also remain strong by inclusion of other States o other areas.

Page No.39

[श्री श्रीमानसिंह]

Historically if it is taken, in the original days Bharatpur never spread towards Rajasthan, it always had its eye on and always spread towards U. P.

Therefore, taking all the criteria that the Commission placed before it, I strongly recommend the case of Bharatpur and Dholpur going towards U.P., after the formation of the new State of Agra. The point that in a federation, the units...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, आगरा स्टेट का कोई सवाल ही नहीं।

श्री श्रीमानसिंह —I am supporting the Note of Dissent by Mr. Panikkar. ('प्रस्ताव के बारे में बोलिये' इस प्रकार की आवाज) The new Agra State, linguistically, historically, economically and financially, will not disturb the unity of India.

Emphasising the point of political equillibrium in a federation, U. P. has a strong representation in the Centre. That representation to quote the words of Mr. Panikkar, is very pre-dominant, and not everemphasising the predominance of U. P. There is a strong case for division of U. P., so that the new State of Agra may be prosperous and also the new State of Rajasthan, the new territories may be happy and prosperous and there is a strong case for it. It may be postponed, as the Commission said, so that the wishes of the people may be ascertained. I humbly submit that the wishes of the people of Bharatpur and Dholpur were never ascertained. If they were, we would have opted out. It is now that we are re-drawing the map of India, it is now that we must give the people what they want; otherwise there might be a time in due course when there may again be a great upheaval.

Therefore, with these amendments that this House do now support that Bharatpur and Dholpur be annexed into the new State of Agra, I will support the motion of the Chief Minister.

श्री गोपीलाल यादव (नगर)—माननीय उपाध्यक्ष, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर मुख्य मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। हमको प्रसन्नता है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा जिसको अपनी भूमि और कोई भी हिस्सा खोना नहीं पड़ा।

एक माननीय सदस्य— सिरोंज तो चला गया।

श्री यादव—(अपना भाषण जारी रखते हुए) सिरोंज जो चला गया, वह एक ऐसी चीज है, जैसे किसी के पेट के अन्दर रखी हुई चीज हो और वह बाहर निकल जाय, यह कभी संभव नहीं हो सकता। सिरोंज के लिये राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता ने स्वयं ने यह कहा कि यह हिस्सा मध्य भारत को दे दिया जाय और जब मध्य भारत के प्रतिनिधि स्टेट रिओर्गेनाइज़ेशन कमीशन से मिले उस समय यह कहा गया कि सिरोंज उनको अवश्य दिया जाय। इसलिये सिरोंज का सवाल ऐसा सवाल नहीं जो राजस्थान की जनता की मरजी के खिलाफ तय किया गया हो।

इसके बाद जो हिस्सा हम चाहते थे; जैसे महेन्द्रगढ़ हमें मिले, मंदसौर मिले आबू मिले और अजमेर भी राजस्थान में शामिल किया जाय। इनमें से आबू और अजमेर हमको मिल गये। जहां तक मांग करने का सवाल है मैं यह निवेदन करदूं कि मांग की कोई हद नहीं। आप कितनी भी मांग कर सकते हैं किन्तु स्टेट रिओर्गेनाइज़ेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं वे बड़ी सोलिड हैं, उनकी रीज़निंग जिन मांगों के स्वीकार नहीं करने के बारे में है वह भी साउण्ड है।

मन्दसोर के बाबत कहा गया अभी अभी कि वह कभी जयपुर के अण्डर में था और यह हिस्सा यदि राजस्थान को दे दिया जाय तो क्या नुकसान है ? जिस वक्त रियासतें थीं उस समय ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके लिये यह कहा जा सके। भाषायी आधार और जनता की राय से उस समय सीमा निर्धारित की गई हो, उस समय कोई भी हिस्सा किसी भी राज्य के अन्दर आ सकता था और जा सकता था। मन्दसोर की निस्बत महेन्द्रगढ़ ज्यादा राजस्थान का हिस्सा है, ज्यादा राजस्थान के नजदीक है। अगर पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश को मिला कर बनाते हैं तो हमें उम्मीद थी कि कमीशन महेन्द्रगढ़ को राजस्थान में शामिल करता। लेकिन तब महेन्द्रगढ़ पुरानी स्टेट का हिस्सा था और उसको पंजाब में मिलाया गया इसलिये कि पंजाब को एक मजबूत राज्य बनाना चाहते थे। इसलिये हमें इस बात पर किसी प्रकार का अफसोस नहीं करना चाहिये।

मैं इस संबंध में खास तौर से एक-दो बातें निवेदन करना चाहूंगा। मैं हमेशा उन आदमियों में से रहा हूं जिसको सब से ज्यादा बदनाम इसलिये किया जाता रहा है कि मैं भरतपुर इलाके को यू. पी. में ले जाने के सदैव विरुद्ध रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से यह बताना चाहता हूँ कि भरतपुर की जनता, जिसके लिये यह भी कहा जाता है कि वह यू. पी. में जाना चाहती है; हो सकता है हमारे आपसी कुछ ऐसे विचार हों किन्तु जहां तक जनता का सवाल है, जनता यही चाहती है और यही मुनासिब समझती है कि जिसमें जनता की भलाई निहित है वही जनता चाहती है। इसमें कोई शक नहीं कि यू. पी. जैसे बड़े राज्य में, जिसकी आबादी करीब साढ़े छः करोड़ होगी उसमें भरतपुर के लोग जाना पसन्द नहीं करेंगे। भरतपुर के संबंध में जितने भी प्रतिनिधि मिले उन सब ने यही कहा कि हम यू. पी. में जाना नहीं चाहते। कमीशन के एक सदस्य श्री के. एम. पन्निकर ने खास तौर से मुझसे यह सवाल पूछा कि अगर आगरा राजधानी बनाकर यू. पी. का एक अलग राज्य बनाया जाय तो भरतपुर वाले क्या उसमें जाना नहीं चाहेंगे ? मैंने जवाब दिया कि यह सवाल ऐसा ही है जैसे भरतपुर को राजधानी बना कर यह पूछा जाय कि अब आप कहां रहना चाहते हैं ? आगरा

[श्री गोपीलाल यादव]

और भरतपुर में कोई फर्क नहीं । अगर आगरा राज्य नया कायम करते हैं तो यह निश्चित है कि भरतपुर के लोग राजधानी के ३६ मील के करीब रहना पसन्द करेंगे । जहां तक इस समय यू. पी. का सवाल है आगरा का सवाल हमारे सामने नहीं । आगरा स्टेट नहीं बन रहा है, यू. पी. के टुकड़े नहीं होंगे, जैसा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस रिपोर्ट को माना है । इसके अलावा यू. पी. के लोग भी यू. पी. के टुकड़े करने पर रजामन्द नहीं हुए हैं । जिस वक्त यु. पी. के टुकड़े हो जांय और आगरा प्रान्त नया बन जाय उस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान का मन्त्री-मण्डल और राजस्थान के दूसरे लोग इस बात के लिये तैयार होंगे कि भरतपुर के लोगों की राय ले ली जाय कि तुम लोग किस प्रदेश में रहना चाहते हो । कमीशन के सामने राय देते वक्त बहुत से मित्रों ने कहा कि अगर आगरा राज्य बन जाता है तो भरतपुर के लोगों को मिलाने के लिये हम खुशी से सलाह देंगे । जब यह सवाल ही नहीं तो फिर यह कहना कि भरतपुर के लोग आगरा में मिलना चाहते हैं, कोई मायने नहीं रखता ।

भरतपुर के लोग निश्चित रूप से राजस्थान में रहना चाहते हैं । यह जरूर है कि बोर्डर एरिया पर रहने वाले लोगों का रहन-सहन, बोल-चाल पास वाले क्षेत्र से मिलती जुलती रहती है । बोर्डर के जो भी हिस्से हैं उनका रहन-सहन जयपुर और यू. पी. से मिलता जुलता है, फिर भी भरतपुर के लोग राजस्थान में रहना ज्यादा पसन्द करते हैं । जहां तक बोर्डर एरिया का सवाल है बोली-पैदावार मिलती जुलती हुआ करती है । वास्तव में भरतपुर के लोग राजस्थान में रहने से बहुत प्रसन्न हैं और राजस्थान में ही रहना चाहते हैं । भरतपुर में एक चीज जरूर नई महसूस होती है और वह यह कि हमारी सरकार यू. पी. की सरकार से और केन्द्रीय सरकार से इसलिये नहीं लड़ती कि भरतपुर को भी यमुना का पानी दिया जाय । इसलिये वहां प्रोपेगेण्डा चलता है कि अगर आप यू. पी. के अन्दर आ जाते हैं तो यमुना की नहर लाई जा सकती है । अब मुझे निश्चित रूप से पता है कि हमारी वर्तमान राजस्थान सरकार ने इस सवाल को उठाया है । उसने यू. पी. गवर्नमेण्ट को भी लिखा है, उनकी बातचीत चल रही है । मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार को इस मायने में निश्चित कामयाबी हासिल होगी और यमुना की नहर भरतपुर आवेगी ।

इसके अलावा मेरे मित्र जो जोधपुर से आये हुए हैं उन्होंने बतलाया कि जब कि राजस्थान में अजमेर मिल रहा है तो इस बात की आवश्यकता है कि इस प्रस्ताव में कुछ बातें और जोड़ दी जांय । जो सुविधायें, जो ग्रेड्स अजमेर के लोगों को मिले हुए हैं वे राजस्थान के कर्मचारियों पर भी लागू होने चाहिये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जब कमीशन ने 'बी' और 'सी' श्रेणी को खतम कर दिया है और जिस वक्त नये सिरे से राज्यों का निर्माण होगा उस वक्त सब स्टेट्स 'ए' क्लास स्टेट्स बन जायेंगी, जो १ अक्टूबर, सन् १९५६ से बनने जा रही हैं यह एक प्रकार से निश्चत सा है । उसके बाद राजस्थान के लोगों की ग्रेड्स में कमी नहीं रहेगी और वे यू. पी, पंजाब और दूसरी 'ए' क्लास स्टेट्स के बराबर हो जायंगी । मैं यह मान कर चलता हूं कि अगर राजस्थान गवर्नमेण्ट यह भी चाहे, जो कि वह नहीं चाह रही है कि यहां के ग्रेड्स इसी

[श्री गोपीलाल यादव]

प्रकार रहें तो भी नहीं रह सकते । यह तो सब निश्चित रूप से होने वाला है; तो केवल इसलिये इस प्रस्ताव में कोई तरमीम करना मैं आवश्यक नहीं मानता ।

राजस्थान के लिये यह निश्चित प्रसन्नता की बात है । इसके अलावा एक बात की ओर मैं खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं; वह यह कि देहली के अन्दर आॅल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने जो रिपोर्ट स्वीकार की है उसमें इस बात को निश्चित रूप से नहीं कहा गया है कि जिस प्रकार अजमेर राजस्थान का हिस्सा बने उसी प्रकार आबू के मामले को ढिलमिल छोड़ दिया गया है । आबू के मामले के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा गया है, केवल यह कहा गया कि हम स्टेट रिआॅर्गेनाइज़ेशन कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार करते है । आबू का मामला अभी तक भी छोड़ा हुआ है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के साथ मुख्य मंत्री महोदय जो पत्र भेजें उसमें जोरदार शब्दों में मांग भेजें कि राजस्थान के लोगों को जल्दी से जल्दी यह विश्वास दिलाया जाय कि आबू के संबन्ध में एस. आर. सी की जो रिपोर्ट है उसी को माना जायगा और बम्बई, गुजरात और दूसरे प्रदेश के किसी प्रकार के दावे को नहीं माना जायगा; उनके दावे का किसी प्रकार भी इस रिपोर्ट पर प्रभाव नही पड़ेगा । इस संबन्ध में मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि स्टेट रिआॅर्गेनाइज़ेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको हम सारे भारतवर्ष के लिये, क्या क्या सिफारिश की है, उससे किस जगह क्या असर पड़ेगा किस जगह नहीं पड़ेगा, इस चीज़ से हमारा कन्सर्न नहीं । अगर हमारी लेजिस्लेटिव असेम्बली के सामने यह सवाल विचाराधीन होता कि हम इस सारी रिपोर्ट पर विचार कर सकते हैं तो मुमकिन है कि हम और भी बातें कह सकते । लेकिन जहां तक राजस्थान का सवाल है वहां तक मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि जो रिपोर्ट दी है वह हमारे लिये संतोषप्रद है ।

इसके संबन्ध में मेरे एक मित्र ने कहा है कि इसमें एक आॅपरेटिव पोर्शन (Operative Portion) जोड़ दिया जाय कि इस पर जल्दी से जल्दी अमल किया जाय । अगर हमको यह शुबहा हो रहा है, अगर हमको यह डर हो कि इस पर जल्दी अमल नहीं किया जा रहा है और शायद इसमें देर लगेगी तो मुमकिन हो सकता है कि इस चीज की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन हमको यह निश्चित रूप से पता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट बहुत जल्दी इस पर अमल कर रही है । वह विधान के अन्दर भी कुछ संशोधन इस बात के लिये ला रही है जिससे इसमें देरी न होगी और स्टेट्स भी देरी न कर सकें, एक खास टाइम के अन्दर जल्दी से जल्दी वह अपनी राय भेजें । एक खास शैडयूल के अन्दर इस पर अमल कर दिया जाय तो ऐसी सूरत में और कोई चीज घटने या बढ़ने की आवश्यकता नहीं है । मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हाउस इसको स्वीकार करेगा ।

श्री श्रीगोपाल भार्गव (धौलपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस सदन में पेश किया है मैं उसके समर्थन

[श्री श्रीगोपाल भार्गव]

के लिये खड़ा हुआ हूं किन्तु एक छोटे से परिवर्तन के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि धौलपुर से भरतपुर के लिये या जयपुर आने के लिये कोई सीधा रास्ता राजस्थान में होकर नहीं है। बल्कि उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ तहसील और आगरा में होकर आना पड़ता है। राजस्थान के नक्शे को देखने से यह जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश को कुछ सीमा राजस्थान के नक्शे के अन्दर गली के रूप में चली गई है जो कि २५ मील लम्बी और करीब ६ मील चोड़ी है, जिसमें करीब २० हजार मनुष्य निवास करते हैं। यह हिस्सा किसी जमाने में भरतपुर के शासकों के आधीन था और यहां के रहने वालों का रहन-सहन, खान-पान, बोल-चाल धौलपुर सब- डिविजन और भरतपुर से बिल्कुल मिलती जुलती है। राजस्थान सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने जो मांगें पेश की थीं उनमें भी इस हिस्से को मांगा गया था। किन्तु कमीशन ने इस पर कोई रोशनी खास तौर से नहीं डाली है कि यह हिस्सा राजस्थान में क्यों नहीं मिलाया जाय, जब कि वहां का रहन-सहन, वेष-भूषा और खान-पान या बोल-चाल सब एक से मिलते हैं और इन्तजाम के लिहाज से भी उसका भरतपुर जिले में मिलाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय की सेवा में आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस थोड़े से हिस्से को राजस्थान में मिलाने के लिये दुबारा लिखा-पढ़ी करें और आशा करता हूं कि वह इस मांग को मन्जूर करेंगे।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने विचार जो उत्तर प्रदेश में धौलपुर या भरतपुर को मिलाये जाने या नहीं मिलाये जाने के बाबत जाहिर किये हैं, उसके बाबत मैं यह निवेदन करूंगा कि सन् १९४९ में जिसके लिये पहले कमीशन मुकर्रर हुआ था देव कमीशन और उसने भरतपुर और धौलपुर में जाकर जनता की राय जानने का प्रयत्न किया था और उनके समक्ष जनता ने अपनी राय प्रकट की थी। उस वक्त देव कमीशन की रिपोर्ट यह थी कि धौलपुर और भरतपुर की संपूर्ण जनता में से ७० या ८० फी सदी राजस्थान में रहना चाहती है और २० या ३० के बीच में यू. पी. में जाना चाहती है और कोई ऐसी बात नहीं है कि मौजूदा यू. पी. में न मिलाये जाने की सिफारिश की जाय और अब भी कमीशन ने यह रिपोर्ट लिखी है कि जो वाकेआत उस वक्त में थे वही वाकेआत अब भी मौजूद हैं। इसलिये भरतपुर या धौलपुर के यू. पी. में मिलाये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। धौलपुर और भरतपुर को राजस्थान में मिलाये जाने के लिये जो कमीशन ने रिपोर्ट की है, मैं उसका स्वागत करता हूं और संतोष प्रगट करता हूं। रहा सवाल यह कि यू. पी. के दो टुकड़े हों और आगरा प्रान्त बने, तो यह सवाल इस वक्त करना गैर-मुताल्लिक समझता हूं कि इस पर कोई बहस की जाय। अगर आइन्दा भी हो तो उस वक्त जनता की राय ली जा सकती है। इन हालतों में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और फिर यह निवेदन करता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि वह खैरागढ तहसील के उस हिस्से को जो धौलपुर सब-डिविजन और भरतपुर की रूपावास की तहसील के बीच में है, मांगने के लिये कोशिश करें।

श्री संतोषसिंह कछवाहा (बिलाड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो मुख्य मंत्रीजी के द्वारा प्रस्ताव सीमा आयोग के मुताल्लिक रखा गया है उसके मुताल्लिक मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्षजी, सीमा आयोग की रिपोर्ट के अन्दर पैरा ४७८ के अन्दर जो उन्होंने मन्दसौर जिले को राजस्थान में नहीं मिलाने की सिफारिश की है उसके लिए हमें संतोष नहीं होता। मन्दसौर जिले का एक शहर तो जरूर दे दिया है, बाकी के लिए जो उन्होंने विवरण दिया है, जो आग्युमेण्ट्स दिये हैं, जो दलीलें दी हैं, वे काफी संतोषजनक नहीं हैं। मन्दसौर जिला ऐतिहासिक दृष्टि से और भाषा की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख अंग है। उस लिहाज से भी सीमा आयोग को विचार करने की जरूरत थी। मन्दसौर का इलाका ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान का भाग कई सदियों तक रहा है।

इसके बाद मैं, माननीय उपाध्यक्ष, सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरेग्राफ ४९८ के अन्दर मध्य प्रदेश के विषय में कुछ विचार प्रकट किये हैं और उन्होंने उसे बनाने के लिए काफी हद तक विचार-विमर्श किया। उसके बाद में उन्होंने उसको मंजूर नहीं करने के विषय में जो अपनी राय लिखी है वह मैं उपयुक्त नहीं समझता। उन्होंने इस मरु प्रदेश को नहीं बनाने के लिए पहली बात यह बताई कि मानव शक्ति तथा आर्थिक दृष्टि से यह एक कमजोर इकाई दीखती है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। अगर यह मरु प्रदेश, वह बनाने की सिफारिश करते तो इस मरु प्रदेश के अन्दर मानव शक्ति के बारे में मैं यह कह सकता हूँ कि आज तक भारतवर्ष में जितनी फौजी भरती होती है वहां फौजी भरती के अन्दर मरु प्रदेश के सिपाही जो रिक्रूट किये जाते हैं वे बड़ी अहमियत के और शक्तिशाली सिपाही सिद्ध हुए हैं और सबसे ज्यादा तादाद में भी मिलते हैं। अगर थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि ७०० मील के बोर्डर की रक्षा के लिए इतने सिपाही यहां नहीं मिल सकते हैं तो यह हो सकता है कि जैसे हिन्दुस्तान के अन्दर नेपाल के सिपाही रह सकते हैं तो क्या हमारे मरु प्रदेश में हिन्दुस्तान के सिपाही नहीं रह सकते थे। यह दलील देना कि मानव शक्ति काफी नहीं थी, उपयुक्त नहीं है।

दूसरा कारण उन्होंने यह बताया इस मरु प्रदेश को नहीं बनाने के लिए कि आर्थिक दृष्टि से यह कुछ कमजोर है। यदि यह ठीक है तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर तो भारतवर्ष में बहुत से प्रान्त हैं। अजमेर के बारे में भी अभी कहा गया है कि आर्थिक दृष्टि से वह बहुत कमजोर है। वह हमारे राजस्थान में मिलाया जा रहा है। इस तरह से मैं यह कहूँगा कि मरु भूमि आर्थिक दृष्टि से कमजोर नहीं है। कारण कि इस मरु प्रदेश में बीकानेर डिवीजन, जोधपुर डिविजन, सिरोही, जैसलमेर यह आते। उनके संबंध में सीमा आयोग से मांग की गई थी कि उसके अन्दर इनके अलावा रन ऑफ कच्छ भी मिलाया जाय और उस रन ऑफ कच्छ में कांडला पोर्ट आ जाता। जब कांडला पोर्ट और रन ऑफ कच्छ के साथ मरु भूमि का प्रान्त बना देते तो मैं नहीं समझता कि इसके अन्दर इतनी आर्थिक कठिनाई पड़ती।

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

और इसके अलावा जब कि हमको लोहारू और महेन्द्रगढ़ जैसी जगहें मिल जातीं, मरु प्रदेश में सम्मिलित हो जातीं और बीकानेर में गंगानहर वगैरह जो हैं, वह उपजाऊ जमीन मरु प्रदेश में मिला लेते तो मैं नहीं समझता कि आर्थिक दशा में वह मरु प्रदेश कमजोर रहता। अगर थोड़ा कमजोर रहता तो केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य होता कि सहायता देकर मरु प्रदेश का निर्माण करती। यह नहीं करके मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी भूल की है। मरु प्रदेश बन जाता तो प्रशासनिक दृष्टि से वहां के लोगों को राहत अच्छी मिलती। अभी जो राजस्थान सरकार के अधिकारियों का टी. ए., डी. ए. का खर्चा होता है इतनी रकम से तो वहां का शासन चल जाता। (हंसी) वहां की मिनिस्ट्री इतने से खर्चे से अच्छी तरह चल सकती थी। तो मैं नहीं समझता कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसे क्यों उचित नहीं समझा।

यह सारी चीजें देखते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस रिपोर्ट के पैरा ४६८ में आयोग ने जो विचार प्रकट किये हैं, इसके बारे में आयोग को सिफारिश करें कि वे फिर से इन पर विचार करके बतायें कि मानव शक्ति जो मरु प्रदेश से मिलती है वह दूसरी जगह नहीं मिलती। नेपाल के सिपाही, हिन्दुस्तान में मानव शक्ति के होते हुए भी क्यों रखे जाते हैं ? मरु प्रदेश के सिपाही नेपाल के सिपाहियों से किसी कदर कम नहीं हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ये कम नहीं हैं।

अजमेर हमें दिया है इसके लिए हमें काफी संतोष है और अजमेर को जो उन्होंने दिया है इसके लिए संतोष के साथ कहूँगा कि यह हमारे ऊपर अहसान नहीं किया है। क्योंकि अजमेर रहन-सहन, खान-पान और भाषा की दृष्टि से राजस्थान का ही अंग है और इसके अन्दर जितने रहने वाले हैं, राजस्थान की हर एक स्टेट से उनका संबंध है, भाई-चारा है, सगे संबंधी वगैरह हैं। वहां का जितना कारोबार है वह दूसरी स्टेटों के सम्बद्ध है। इसलिए अजमेर को राज्य पुनर्गठन आयोग ने राजस्थान में मिलाया है यह अहसान नहीं किया है, बल्कि वह एक खर्चीली, डेफिसिट स्टेट सैण्टर गवर्नमेण्ट के जिम्मे थी उसके लिये उन्होंने देखा कि राजस्थान के गले डाल दो, बला टली ......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—हमने भी तो मांग की थी।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—हमने मांग की थी, वह इसलिए की कि अपने बिछुड़े हुए भाइयों को गले लगाना जरूरी था। राजस्थान का अंग होने के नाते राजस्थान में मिलाना ही था—जैसे सिरोंज. . . . . . (हंसी)

सीमा आयोग ने सिफारिश की है कि आबूरोड भी इन्हें दे दिया जाय। इसमें भी हमारे ऊपर कोई अहसान नहीं किया है, यह हमारा ही तो है और हमें मिलना ही था। बिना लड़ाई-भिड़ाई के दूसरे तरीकों के इस आसान तरीके से मिल गया, इसके लिए हम जरूर उनको धन्यवाद देते हैं, यह अहसान किया है। (समय-समाप्ति सूचक घंटी)

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

एक-दो मिनिट और दीजिये, अभी तो ५ मिनट ही हुए हैं।

लोहारू तो दिया पर महेन्द्रगढ़ के लिए जो आर्ग्युमेण्ट सीमा-आयोग ने रखे हैं, उनसे हमारे आर्ग्युमेण्ट्स स्ट्रोंग हैं। हमारे आर्ग्युमेण्ट्स जो हमने महेन्द्रगढ़ के लिये रखे गये थे वे लोहारू से भी ज्यादा स्ट्रोंग थे। वह हमें मिलना चाहिए था। इसके बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री नारायण चतुर्वेदी (जयपुर-चाकसू)—उपाध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है उस पर मुझे कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान दिलाना है।

असल में अजमेर आ गया, लुहारू आ गया या राजस्थान का कुछ हिस्सा चला गया, यह तो है ही। इसके अलावा बुनियादी बातें इस रिपोर्ट में कुछ और हैं, जिन पर हमें सचमुच विचार करना जरूरी है। यह महसूस करें या नहीं करें, लेकिन थोड़े दिनों बाद हम महसूस करेंगे कि हिन्दुस्तान का इतिहास बदल रहा है, राजस्थान का इतिहास बदल रहा है और बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं इस राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के जरिये, जिसे हमें सारे राजस्थान को और सारे हिन्दुस्तान को महसूस करना चाहिए।

अंग्रेजों के समय में पुनर्गठन किया गया था, पर उस समय दृष्टिकोण भिन्न था। उस समय यह दृष्टिकोण था कि किस तरह हिन्दुस्तानियों को गुलाम बनाये रखा जाय, किस प्रकार हिन्दुस्तानियों के खिलाफ मोर्चा बन्दी की जा सकती है और किस तरह छोटे-छोटे राज्य कायम रख कर हिन्दुस्तान की एकता को तोड़ा जा सकता है, किस तरह हिन्दुस्तानियों को दबाया जा सकता है? पर वह दृष्टिकोण अब बदल गया है और राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में इसके खिलाफ यह दृष्टिकोण रखा गया है वह यह कि कैसे जन कल्याण की भावना को स्थिर रखा जा सकता है, कैसे हिन्दुस्तान की एकता को स्थिर रखा जा सकता है? आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक बातों का ध्यान रखा है; इसके अलावा यह भी रखा है कि एक ही बात पर इतना अधिक जोर नहीं दे दिया जाय कि ये सारे समय यह दृष्टिकोण नहीं रखा जाय कि कोई भी राज्य परावलम्बी हो जाय या पुनर्गठन पर बातें ही नष्ट हो जायं। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर रखा गया है कि राज्य पुनर्गठन पर विचार करते समय यह दृष्टिकोण नही रखा जाय कि कोई भी राज्य परावलम्बी हो जाय या दूसरों को डोमिनेट करने लग जाय; इस तरह सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि देश के राजनैतिक ढांचे में राष्ट्र की प्रधानता रहे। भाषा की एकता का ध्यान रखा गया है, पर वह इस हद तक रखा गया है कि प्रशासन में सुविधा हो। साथ ही इसके व्यवहारिक तथ्य को भी ध्यान

[श्री नारायण चतुर्वेदी]

में रखा गया है। हिन्दी भाषा-भाषी एक ही जगह रहें, इसको भी मुनासिब नहीं समझा है। जिस तरह देश की एकता स्थिर रहे इस दृष्टि से और आर्थिक एकता की दृष्टि से भिन्न भाषा-भाषी प्रान्त भी रह सकते हैं।

इसके अलावा सबसे बड़ी बात राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में जो है वह यह कि इसमें इस बात को डिस्करेज (Discourage) किया गया है कि जातिवाद और संप्रदायवाद के आधार पर प्रदेश बनने चाहिये। उन्होंने कहा है कि यह संविधान के खिलाफ है और इसीलिए उन्होंने पंजाब प्रान्त को बनाने के लिए इन्कार किया है। इस दृष्टि से यह कह देना चाहता हूँ कि यह रिपोर्ट व्यापक हित को लिए हुए दृष्टिकोण से है और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि देश की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सुधार हो। उन्होंने राजस्थान का भी इसी तरह से ध्यान रखा है, राजस्थान के प्रश्न को लेते हुए इस बात का खयाल रखा गया है कि यहां के लोगों की आवाज क्या है, लोकतन्त्र की भावना क्या है? आबू के चले जाने पर लोगों ने आवाज उठाई और उन्होंने लोगों की इस भावना की कद्र की और इसके लिए राजस्थानियों को आभार मानना चाहिये। अतः उन्होंने लोगों की आवाज की कद्र करते हुए यह तय किया कि आबू राजस्थान मे ही मिलना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने अजमेर के बारे में भी निर्णय लिया है। हमें इस बात के लिए प्रसन्नता होनी चाहिये कि जिस अखंड राजस्थान के लिए हम लोग वर्षों से कल्पना कर रहे थे कि अखण्ड राजस्थान होना चाहिए; राजस्थान खण्ड खण्ड में बिखरा हुआ था, कई इकाईयों में बिखरा हुआ था, जिसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे थे; वह आज राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट से एक हो गया है। उन्होंने राजस्थान को अखण्ड बनाया और लोकतन्त्र और लोगों की भावना की भी कद्र की है।

इसके साथ साथ हमारे यहां से राजप्रमुख पद को उठा दिया है। उन्होंने ठीक ही लिखा है कि यह राजप्रमुख का पद लोकतन्त्र की भावना से मेल नहीं खाता है। यह एक इतिहास में परिवर्तन है। और तो छोटे प्रदेशों को इधर और उधर मिला दिया जाता है, यह तो ठीक है लेकिन हमें इस अवसर पर एक नया इतिहास बनाने का मौका मिल रहा है। पुराने इतिहास का इतना महत्व नहीं है जितना कि आज जो कुछ किया गया है उसका महत्व है। मेरी यह मान्यता है कि यह रिपोर्ट सब दृष्टि से व्यापक है और हमें इसका पूरी तरह से समर्थन करना चाहिये।

श्री धूलजीभाई (घाटोल)—माननीय उपाध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट सदन के सामने पेश हुई। इसका मैं हार्दिक समर्थन करते हुए, स्नेहपूर्वक स्वागत करता हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर जो प्रस्ताव चीफ मिनिस्टर ने रखा है उस सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाला जा चुका है। मैं भी अपने विचार इस सम्बन्ध में रखना चाहता हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग कमीशन ने राजस्थान के प्रति विशाल दृष्टिकोण रखते हुए और राजस्थान की महत्ता को

[श्री धूलजी भाई]

देखते हुए रिपोर्ट प्रकाशित की है और राजस्थान के जो विभाजित प्रदेश थे उनका एकीकरण करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसलिये इस कमीशन को भी मैं धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जो उन्होंने न्यायपूर्ण रिकमण्डेशन की है और राजस्थान के विभाजित अंग का एकीकरण करके राजस्थान के अंग को उन्होंने संपूर्ण बना दिया है।

राजस्थान का मुख्य अंग आबू था जो किसी कारण से बम्बई में मिला लिया गया था। वह राजस्थान का एक अंग था जिसको वापिस राजस्थान में मिलाने की रिकमण्डेशन की है, उसके लिये हमारे सदन ने भी मांग की थी। इसके अलावा अजमेर का हिस्सा जो ब्रिटिश शासन के समय से अजमेर का अलग शासन की दृष्टि से बनाया था, हमारे राजस्थान के मध्य में एक छोटा सा प्रदेश है; उसे भी हमारे राजस्थान के साथ मिला कर बड़ा सुन्दर कार्य किया है। इसी तरह हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जो गुजरात प्रान्त की सरहद पर आये हुए हैं और इस संबन्ध में गुजरात प्रान्त के कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने और दूसरे लोगों ने ऐसा प्रस्ताव किया था कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को ऐतिहासिक दृष्टि व दूसरे कारणों से गुजरात में मिलाया जावे और इस प्रकार का दावा कांग्रेस कमेटी ने आयोग के सामने रखा था; इस संबन्ध में जो उन्होंने अपना दावा पेश किया था उस पर वाद-विवाद के बाद आयोग ने फैसला दिया वह न्यायोचित है और वास्तविक है। उन्होंने वही किया जो होना चाहिये था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा राजस्थान के ही अंग हैं और राजस्थान के राजा-महाराजा राज्य करते थे। वहां पर शिशोदिया वंश के राजा राज्य करते थे जो उदयपुर के थे। इस दृष्टि से वह राजस्थान का ही अंग था और ऐसा ही माना गया है। यहां की पब्लिक यह कभी भी विचार नहीं करती थी कि हम राजस्थान से अलग हों। जब गुजरात में इस प्रकार का प्रचार चल रहा था, क्योंकि गुजरात वालों ने काफी प्रचार किया कि किसी तरह से डूंगरपुर, बासवाड़ा गुजरात में मिला लिये जावें तो इस संबंध में जब तक राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई थी जनता के दिलों में कई प्रकार की आशंकाएं थीं। जब रिपोर्ट बाहर आई तो जनता को संतोष हुआ कि उन्हें राजस्थान में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो वाजिब था। हमारी जनता को इस बात से बहुत खुशी है कि हम हमारे राजस्थान की तरक्की होती हुई देखें और इसी से हमारी तरक्की होगी। इसलिये मैं यह प्रशंसा करता हूं कि हमारे यहां की जनता राजस्थान के साथ रहने से संपूर्ण सुखी थी और राजस्थान के साथ रहने से प्रसन्नता हुई। यह भी एक खुशी की बात है कि इसके साथ साथ बम्बई वालों ने यह दलीलें रखीं कि बांसवाड़ा में माही नदी निकल कर मध्य भारत राजस्थान आदि में होती हुई गुजरात में जा रही है। इसके पानी की दृष्टि से मांग रखी थी, जो महत्वपूर्ण नहीं थी और जो मांग उन्होंने की थी उसको आयोग ने भी ठीक नहीं समझा क्योंकि वह जो उनका दावा था वह वाजिब नहीं था। नदियें कई प्रान्तों में से होकर जाती हैं, उनके पानी के उपयोग की दृष्टि से मांग करना उचित नहीं; जैसे गंगा नदी बह कर बिहार बंगाल आदि कई जगह से होकर जाती है। इसलिये कोई यह कहे कि पानी हमारे प्रान्त में आता है इसलिये हमारा इस पर दावा है, यह गलत है। एक दावा यह भी रखा था कि ऐतिहासिक दृष्टि से, हजारों वर्ष पहले जब यहां पर मुसलमानों का शासन था तो वह गुजरात में था; तो इस

[श्री धूलजी भाई]

दृष्टि से कि यह गुजरात में मिलाया जाना चाहिये यह भी उनकी जो मांग थी वह गैरवाजिब थी और अनुकूल नहीं थी। जिस दृष्टि से बांसवाड़ा, डूंगरपुर के बारे में जो फैसला हुआ है वह अनुकरणीय है और न्यायोचित है और राजस्थान के अंग माने गये हैं, यह खुशी की बात है।

इसके सिवाय जिन दूसरे अंगों का इसके साथ विलीनीकरण हुआ है उससे हमारे राजस्थान की बहुत प्रगति होने वाली है और राजस्थान को जिस प्रकार विशाल अंग माना गया है, इसको संपूर्ण अंग मान कर, 'ए' श्रेणी का मान कर जो युनिट बनायी गई हैं, जिससे कि राजप्रमुख को इससे अलग होना पड़ेगा और शासन की पद्धति लोकतन्त्र के ऊपर आधारित होकर इकाइयों के रूप में चलेगा, उस पर भी खुशी प्रकट करते हैं और राजस्थान की इस तरक्की के लिये मुख्य मंत्री को मैं बधाई देता हूं। राजस्थान का संपूर्ण अंग इस तरह से विकसित हो, जिस प्रदेश का इसके साथ विलीनीकरण हुआ है वहां की जनता का और मुख्य बातों का ध्यान रखा जावे और प्रशासन की दृष्टि से सब पहलुओं पर ध्यान रख कर इसको अच्छी तरह से चलाया जावे। यह हमारी शुभ कामना है और मैं आशा करता हूं कि प्रशासन की दृष्टि से सब पहलुओं को ध्यान में रख कर उचित व्यवस्था होगी। मैं राज्य पुनर्गठन आयोग को फिर धन्यवाद देता हूं कि इस आयोग की रिपोर्ट से हमारे राजस्थान के सब सदस्यों को प्रसन्नता हुई है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना-परबतसर)—माननीय उपाध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट से संबंधित जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखा मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं। जिस तरह का राजस्थान के साथ में राज्य पुनर्गठन आयोग का व्यवहार और जो निर्णय रहा वह वास्तविक तौर पर इतिहास में नया तरीका दिया गया है जिससे राजस्थान की जनता, हरएक अंग मुबारिकबाद आपके द्वारा उन्हें देता है। किस राज्य के अन्दर कौनसा जिला रखा गया है या कौनसा गांव रखा गया है इस आयोग की रिपोर्ट में उसका महत्व नहीं। रिपोर्ट के अन्दर जो सबसे बड़ा महत्व पूर्ण पहलू है वह राजनैतिक दृष्टिकोण से संबंध रखता है। हिन्दुस्तान के अन्दर जो 'बी' स्टेट्स का नाम है, जो जनता का स्टेटस था राजनैतिक दृष्टिकोण से उसको नीचा स्तर माना जाता था और उनकी स्थिति राजनैतिक दृष्टिकोण से और एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में नीचा माना जाता था, आयोग की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि 'बी' स्टेटस को हटा कर सब 'ए' स्टेट्स मानी जायगी, सिर्फ एक को छोड़ कर, दिल्ली को छोड़ कर, सब स्टेट्स को एक ही तरह की कर लेंगे, यह जो सिफारिश है उसके लिये मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार और आयोग को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। एक चीज रखी गई है, राजप्रमुख पद के बारे में कि वे हटाये जावेंगे, वह चीज इतिहास के अन्दर महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे संशोधन का समर्थन करियेगा, ऐतिहासिक बात है तो।

श्री मथुरादास माथुर—संशोधन तो नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मौखिक ही ।

श्री मथुरादास माथुर—मौखिक कर रहे हैं ।

श्री मोतीलाल चौधरी—राजस्थान की जनता का मानसिक जीवन ऐसा था कि वह यह विचार करती थी कि संपूर्ण चीजें हमको मिली हैं या नहीं ? वास्तविक राजनैतिक दृष्टिकोण से हमारा स्टेटस बाहर यू० पी० और पंजाब के बराबर है या नहीं ? हम यह महसूस कर रहे थे कि राजस्थान के बाहर के प्रान्तों की जनता को वह मिला हुआ था । हमने पोलिटिकल एडजस्टमेण्ड किया था जिससे कि हमारे यहां राजप्रमुख का पद रखा गया और जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जनता ने आवाज नहीं उठाई, यह गलत है । बहुत आवाज उठाई राजप्रमुख प्रथा को खत्म करने के लिये; हमारे राजस्थान को 'बी' स्टेट्स के बजाय 'ए' स्टेट्स करने के लिये बहुत दफा आवाज उठाई ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कब कब ?

श्री मोतीलाल चौधरी—बहुत दफा उठाई गई । (घंटी) बाद में बता दूंगा पार्टी मीटिंग के अन्दर कई रिज़ोल्युशन्स हुए ।

(विराम)

ये जो कदम आयोग ने लिया है उसके लिये बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरा खयाल है कि 'बी' स्टेट्स की जनता 'बी' स्टेट्स के प्रतिनिधिगण और खास कर राजस्थान के प्रतिनिधि-गण एक आवाज से इस कदम के लिये धन्यवाद देंगे । मैं आपके द्वारा हाउस से निवेदन करूंगा कि इसके लिये माननीय सदस्य एक स्वर से धन्यवाद देंगे और दे रहे हैं ।

कुछ राजस्थान को अंग मिले हैं, कुछ तहसीलें हमें मिली हैं, इसको महत्वपूर्ण मान कर मैं इस बात के लिये राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान का कोई अंग कटा नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सिरोंज तो गया ।

श्री मोतीलाल चौधरी—सिरोंज गया है, वह न्यायोचित है । जिन साथियों के हाथ में अभी सरकार है वे न्याय करते हैं, जो मांग है वह न्यायोचित है और सिरोंज की जनता के प्रति न्याय करने को छोड़ दिया जाय तो इसको वैसा ही मान लीजिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कैसे होता है !

श्री मोतीलाल चौधरी—वह मैं बताता हूं कि कैसे होता है।

सिरोंज के किसान को यदि रेवेन्यू बोर्ड में आना होता है तो उसको तीन दिन लग जाते हैं और मेरे साथी जो जोधपुर से आते हैं वे सीधे ही रेल में बैठ कर शाम को वहां से चलते हैं और सुबह यहां पहुंच जाते हैं।

तो वे स्थानीय किसानों की स्थिति को सोचें, जनता की तकलीफों को सोचें। वहां की जनता इससे दुखी नहीं होगी। जो आज स्थिति में हैं वे नहीं सोचेंगे कि दुखी होंगे। जनता के साथ हमारी हमदर्दी है, अब उनको यहां नहीं आना पड़ेगा। इस तरह से सिरोंज की जनता के प्रति यह न्याय हुआ है। मैं नहीं कहता कि जो सिरोंज से प्रतिनिधि यहां आये हैं उनके साथ क्या होगा? उनके प्रति भी न्याय होगा।

इसलिये मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद दे रहा था कि वास्तव में लीडर ने राजस्थान के अंग को किसी तरह से जाने नहीं दिया; अपने चातुर्य से, अपनी बुद्धीमता से बुद्धि कौशल से उसको रखा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—न्याय लागू करना चाहिये, चातुर्य नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी—उसके आगे जो हमने लिया, जैसे अजमेर हमारे साथ आगया, आबू हमारा आ गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आबू तो था ही।

श्री मोतीलाल चौधरी—पहले चला तो गया था। लेने वालों को भी धन्यवाद देता हूं।

अजमेर और लुहारू का बाकी हिस्सा कौनसा आया या नहीं आया, वह इतना महत्व नहीं रखता। मैं प्रत्येक सदस्य से निवेदन करूंगा कि कौनसा हिस्सा आया या नहीं आया, इस विषय में मतभेद पैदा करके उल्टा कदम न लें। कोई हिस्सा नहीं आया, आपके देश का हिस्सा है वह चाहे किसी प्रान्त में रहे। इस प्रदेश के अन्दर नई चीजें आयीं जिनके बारे में सीमा आयोग का निर्णय हुआ है उनको पूर्णतया मान कर चलेंगे ताकि देश के अन्दर अच्छा वातावरण होकर कोई किसी प्रकार की कटुता न फैले। राजस्थान पहला कदम उठाये, कोई अंग नहीं गया है, एक-दो गांव नहीं आये हैं उनके इलाकों के लिये झंझट पैदा करना जिससे कि हिन्दुस्तान की सरकार को उनको देने के लिये राजस्थान सरकार कम्पैल करे, यह नहीं करके जो निर्णय किया गया है वह अच्छा किया गया है. राजस्थान सरकार उस पर पूरी तरह कायम है बिना कोई तोड़-फोड़ करके।

हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे प्रदेशों में कुछ भी निर्णय हों, हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिये। हमें संपूर्ण हिन्दुस्तान के हित पर विचार करना चाहिये, सारा हिन्दुस्तान हमारा

Page No.52

[श्री मोतीलाल चौधरी]

खुद का देश है। यूनियन की युनिट्स अलग अलग हो सकती हैं, किन्तु देश एक ही है। इसी विचार को लेकर हम चलें, यही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर महेन्द्रगढ़ और मन्दसौर हमारे राजस्थान में नहीं आये तो कोई बात नहीं। अगर हम इसी चीज को लेकर किसी प्रकार का आन्दोलन करते हैं या किसी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं तो देश के अन्दर ऐसी परिस्थिति हो जायगी जिसको कण्ट्रोल करना हमारी सरकार के लिए मुश्किल हो जायगा। आज आपने देखा होगा कि बम्बई में संयुक्त महाराष्ट्र के आन्दोलनकारियों ने जो आन्दोलन किया उसमें दस आदमियों की मृत्यु हुई। अगर इसी प्रकार के उपद्रव इन छोटी-छोटी बातों को लेकर फैले तो हमारे देश के लिए यह एक अहितकर और बुरी घटना होगी। इसलिए मेरा प्रत्येक सदस्य से निवेदन है कि जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री ने रखा है उसका एक स्वर से हम समर्थन करें और उसको वैसा का वैसा मान लिया जाय।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जोधपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने मरु प्रदेश की भी चर्चा की। उन्होंने मरु प्रदेश की चर्चा करते हुए काफी लंबी-चौड़ी तकरीर भी दी। मरु प्रदेश की मांग को मंजूर करना कहां तक न्यायोचित है, यह मैं नहीं कह सकता। मरु प्रदेश की मांग किन किन लोगों ने रखी, मैं यह नहीं कह सकता। यह प्रदेश कैसे बनाया जाय और इस संबंध में इतिहास में क्या उल्लेख है मुझे पता नहीं, किन्तु यह अवश्य है कि इतिहास को देखने से यह पता चलता है कि कितने वर्ष लड़ने के बाद आज सम्पूर्ण राजस्थान एक बना है। ऐसे भी लोग यहां हैं जो यह भी चाहते हैं कि इस प्रकार राजस्थान के टुकड़े कर एक नया मरु प्रदेश बनाया जाय, यह एक प्रकार से उनकी बुद्धि का नया नमूना है। मेरे खयाल से यह कोई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण नहीं माना जा सकता। जहां तक मरु प्रदेश के प्रतिनिधित्व करने का सवाल है उन माननीय सदस्य ने काफी प्रतिनिधित्व कर दिया। आज जो राजस्थान बड़ी मुश्किल से बना है उसके टुकड़े कराने वाले भी आदमी यहां मौजूद हैं, जो इस प्रकार की व्यवस्था करवाना चाहते हैं और यह मांग करते हैं कि राजस्थान के टुकड़े कर मरु प्रदेश बनाया जाय। जो दृष्टिकोण उन्होंने रखा वह व्यवहारिक रूप से कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। आज के समय में मरु प्रदेश जैसी मांग राजस्थान के लिए हानिकारक है। बहुत मुश्किल से सरदार पटेल की चतुराई से यह प्रान्त एक बन पाया है; उसको मजबूत करने के बारे में हमें सोचना चाहिए, उसको समृद्धिशाली बनाने की हमें व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं खास तौर से मुख्य मंत्री का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करूंगा। सीमा आयोग की रिपोर्ट पर अलग अलग प्रान्तों में चर्चा चल रही है, यू. पी. और पंजाब के पुनर्गठन के बारे में आन्दोलन चल रहे हैं, पंजाब के अन्दर दो दल हैं जो इसके लिए लड़ रहे हैं। यू. पी. के दो टुकड़े नहीं किये जा सकते, जैसा कि सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है किन्तु यू. पी. में भी मेरे खयाल से दो पार्टियां हैं जो यू. पी. के दो हिस्से करना चाहती हैं। अगर यू. पी. और पंजाब के पुनर्गठन पर फिर से सोचा जाता है तो मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा

[श्री मोतीलाल चौधरी]

कि उस समय जैसी भी परिस्थिति हो उससे सदन को अवगत कराया जाना चाहिये । इसलिए वे यह आश्वासन दें कि अगर इस प्रकार का कोई मामला हुआ तो वे सदन को सूचना देंगे और मेरा विश्वास है और मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि संपूर्ण रुप से जनता की राय उनके साथ होगी, हम अपनी पूरी ताकत से उनको बल देंगे नई स्थिति का सामना करने के लिए। राजस्थान का कोई हिस्सा आता है या जाता है उस स्थिति से हाउस को अवगत कराया जाना आवश्यक है। इन शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को एक मत से स्वीकार करें ।

श्री तेजमल बापना (भीलवाड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का राजस्थान से सम्बन्ध है और जिस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

साल, डेढ़ साल के लंबे अर्से से आयोग इस संबंधी जांच में लगा हुआ था। राजस्थान का प्रत्येक नागरिक खास तौर से उस समय में आशा और निराशा में अपने दिन व्यतीत कर रहा था। आखिर सितम्बर के महीने में जब कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और जिस रिपोर्ट को हम लोगों ने देखा उससे राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को काफी शान्ति प्राप्त हुई । सबसे ज्यादा खुशी तो आबू तालुका के सम्बन्ध में हमको हुई जिसको जबरदस्ती आज से पांच साल पहिले राजस्थान से अलग कर दिया गया था। यह उस वक्त भी न्यायोचित नहीं था । वहां की जनता की भावनाओं को न जान कर उस इलाके को जबरदस्ती बम्बई प्रान्त में मिला दिया गया था। सीमा आयोग ने वहां की जनता को भावनाओं को और वहां के नागरिकों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए इस इलाके को राजस्थान में मिलाने की सिफारिश की है, इसके लिए मैं सीमा आयोग को बधाई देता हूँ।

इसके साथ साथ अजमेर का राजस्थान में मिलाया जाना भी कम महत्व का नहीं है। यों तो अजमेर प्रान्त आमदनी के मायने में डेफिसिट गिना जाता है। इसके कारण केन्द्रीय मदद बराबर उसको मिलती रही। जब जब पैसे की जरूरत हुई केन्द्र ने पैसे की जरूरत पूरी कर दी । इस प्रकार अजमेर राज्य ने खर्च ही खर्च किया। इस कारण वहां आमदनी के बढ़ाने के लिए किसी प्रकार भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आज भी अजमेर यह कोशिश कर रहा है कि उसकी आमदनी बढ़े । वहां इर्रिगेशन के लिए एक बान्ध की नीव अभी हमारे राष्ट्रपति ने रखी है जो विजयनगर के पास जालिया ग्राम में रखी । इससे वहां का हिस्सा काफी उपजाऊ हो जायगा। ऑक्ट्रीय अजमेर में लागू है, सेल्स टैक्स भी वहां लागू हो गया है। राजस्थान और अजमेर राज्य व्यापार के मामले में कोई फर्क नहीं रखता । मुझे उम्मीद है कि अजमेर राज्य ने जो स्कीम्स आगामी पंचवर्षीय योजना के लिए मंजूर कराई हैं उन पर राजस्थान सरकार भी पूरी तौर से ध्यान रखेगी, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने अपने

[श्री तेजमल बापना]

भाषण में कहा कि जो जो स्कीम्स भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुई हैं उनके लिए जो पैसा मिलेगा वह उसी में लगाया जायगा। मैं नहीं मानता कि आगे आने वाले चार-पांच सालों में अजमेर डेफिसिट प्रान्त रहेगा। मुझे उम्मीद तो यही है कि वह भी अपने खर्चे के बराबर आमदनी पैदा कर सकेगा और राजस्थान में मिलने के बाद तो ऐसा कोई प्रश्न भी नहीं रहेगा।

इसका साथ ही साथ मैं इस भवन में जरूर यह प्रदर्शित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि हमें जो रिपोर्ट है उसको मंजूर कर लेना चाहिये और किसी विशेष चीज के लिये इस समय मांग नहीं करनी चाहिये; लेकिन जैसा कि सीमा आयोग ने जाहिर किया है कि जो भाषावार प्रान्त बनने चाहिये उसी दृष्टि से और वहां नागरिकों की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए जो मन्दसौर का जिला छूट गया है उसके लिये तो मैं निवेदन करूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि वे इसकी मांग भी करें तो कोई अनुपयुक्त नहीं होगा। आज जब कि मध्य भारत का विलीन हो गया है और मध्य प्रदेश बनने जा रहा है, वहां के लोगों की भावना भी अब इस बात के पक्ष में है कि दर असल वह राजस्थान में विलीन हो; तो बहुत अच्छा है यदि वह मुनासिब समझें इस बात को कि मन्दसोर प्रान्त (जिला) जो है वह राजस्थान में मिलना चाहिये। वह इस बात की सिफारिश अपने उस प्रस्ताव में करें।

इसके साथ साथ सबसे बड़ी खुशी हमें इस बात की भी है कि जो रियासतों में हम लोग रहा करते थे और यहां राजा या राजप्रमुख का आज भी पद इस 'बी' स्टेट के लिये भी रखा था उसको इस सीमा आयोग ने विलीन कर दिया है। इसकी भी हमें बहुत बड़ी खुशी है।

हमको इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है कि जो जो हिस्से हमारे साथ में मिलते हैं हम उनकी तरक्की का, उनकी उन्नति का पूरा ध्यान रखें। अजमेर राज्य के कुछ सज्जन इस बात के शुरू से खिलाफ थे कि यदि उनको राजस्थान में मिलाया गया तो उनकी तरक्की होने के बजाय उन्हें कुछ पीछे हटना पड़ेगा। वहां की जो सर्विसेज हैं उनमें भी यह भावनायें थीं कि दरअसल हमारे ग्रेड्स में कुछ कमी न हो जाय और जो स्कीम्स हम चालू करना चाहते हैं वह चालू नहीं होंगी। लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने जैसा आश्वासन दिया है और अब तक जितनी भी रियासतें हमारी इस राजस्थान में विलीन हुई है उन सब की राजधानियों के संबंध में अब तक जो ध्यान रखते आये हैं कि दरअसल वह किसी प्रकार से उन्नति करती रहें, वही यदि हम अजमेर के संबंध में भी ध्यान रखते रहे तो मेरे खयाल से वहां के जनसाधारण को प्रसन्नता ही होगी, राजस्थान में मिलने में। पहले तो वे राजस्थान में विलीन होने के कुछ खिलाफ वातावरण पैदा कर रहे थे और आसपास के भीलवाड़ा और किशनगढ़ के प्रान्तों (जिलों) को मिला कर नया राज्य कायम करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब वहां की जनसाधारण की यह भावना है कि दरअसल वे राजस्थान में मिलें। लेकिन अब उनकी दो मांगें है। एक तो यह है कि चूंकि अजमेर मिल रहा है राजस्थान में उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन सेन्टर में होने की वजह से उसे राजधानी रखा जाय। दूसरी उनकी मांग यह है कि

[श्री तेजमल बापना]

हाई कोर्ट जो है वह भी अजमेर में रखा जाय। इसके ऊपर में विशेष चर्चा नहीं करके हमारे जो नेता लोग हैं उनके ऊपर छोड़ दूं कि किस प्रकार अजमेर के निवासियों को संतोष हो सकता है, उनको वैसा संतोष देने की कोशिश करें।

इसके सिवाय मैं आखिर में माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मन्दसौर के संबंध में और जैसा कि आपने फरमाया था कि सारी बाउण्ड्री लाइन पर एक सड़क इधर और दूसरी सड़क उधर, एक स्टेशन इधर और मण्डी उधर, इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखा जाकर जो एक एक नगर है, एक एक सड़क है वह राजस्थान में मिले या कोई भी टुकड़ा मध्य भारत में जाने वाला या दूसरी तरफ जाने वाला हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक मकान का नारदा (गन्दी नाली) एक तरफ गिर रहा है तो वह एक रियासत में रह जाय, और वह मकान दूसरी रियासत में रह जाय। तो जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा था वे इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं मुख्य मंत्रीजी को इस प्रस्ताव के लिये और सीमा आयोग ने जो हिस्सा राजस्थान को दिया है उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री चांदमल मेहता (परबतसर)—माननीय उपाध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर मुख्य मंत्री ने जो संकल्प रखा है, उसका समर्थन करने के लिये मैं उपस्थित हुआ हूं।

इस संकल्प के तीन हिस्से हैं। पहले, संकल्प में जिन हिस्सों को राजस्थान में मिलाया गया है उनके लिये हर्ष प्रकट किया गया है। राजस्थान में जो हिस्से नये मिले है उनमें अजमेर-मेरवाड़ा, लुहारू और सुनेल मुख्य हैं और आबू का ताल्लुका जो हमसे अलग हो गया था वह वापिस आया है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था उस वक्त राजस्थान के नेताओं की ऐसी उत्कट इच्छा थी कि राजस्थान के निर्माण के साथ ही अजमेर उसमें शामिल हो और इस बात की पूरी पूरी आशा भी थी कि राजस्थान के निर्माण के साथ अजमेर भी उसमें शामिल होगा। केवल अजमेर को ही शामिल करने की उत्कट इच्छा नहीं थी, बल्कि राजस्थान के नेताओं की यह भी उत्कट इच्छा थी कि राजस्थान का निर्माण हो और निर्माण के साथ अजमेर उसकी राजधानी भी हो। उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त राजस्थान का निर्माण होने जा रहा था और राजस्थान के नेता दिल्ली में एकत्रित हुए थे तो आशा यह थी कि राजस्थान के निर्माण के साथ अजमेर अपना अंग होगा, लेकिन सरदार पटेल ने एक वैधानिक आपत्ति उपस्थित की और वह वैधानिक आपत्ति यह थी कि अब तक जितनी रियासतें मिली हैं वे प्रान्तों में मिली हैं। ऐसी एक भी मांग नहीं आई कि प्रान्तों को राज्यों में मिलाया जाय। इस दृष्टि से अजमेर नहीं मिलाया जा सका। यही वजह थी कि अजमेर जिसके मिलने की हम राजस्थान के निर्माण के वक्त कल्पना कर रहे थे वह अब तक हमारे से अलग रहा। अजमेर के बारे में, उसके स्टेटस के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने अपनी स्पीच में काफी आश्वासन दिया है, लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी को यह याद दिलाऊंगा कि जब राजस्थान का निर्माण

[श्री चांदमल मेहता]

हुआ उस वक्त मुख्य मंत्रीजी भी इस विचार के थे कि राजस्थान की राजधानी बनने के लिये अजमेर बिल्कुल उपयुक्त है। मैं मानता हूँ कि आज भी मुख्य मंत्रीजी का वही विचार होगा जो उस वक्त था। यह भी मानता हूं कि अगर उनके विचारों में किसी वजह से कोई परिवर्तन आया हो तो भी यदि वह निश्चित तौर पर राजधानी नहीं बने तो भी अजमेर का स्टेटस राजधानी से कम नहीं होना चाहिये। इस तरह का विचार वे निश्चित तौर पर रखेंगे। पुराने राज्यों के एकीकरण के बाद, पुराने राज्यों की राजधानियों की जैसी हालत हुई है उसके संबन्ध में मैं इस वक्त चर्चा नहीं करना जाहता हूं। कहने को तो यह कहा गया कि हम पुराने राज्यों की राजधानियों का स्टेटस मेन्टेन करना चाहते हैं लेकिन सही मायने में जो छोटे छोटे राज्यों की राजधानियां थीं उनकी ओर उनका खयाल नहीं रहा। उनकी ओर से यह आश्वासन हो कि अजमेर की ऐसी स्थिति नहीं होगी जैसी कि छोटे छोटे राज्यों की राजधानियों की स्थिति हुई है। अजमेर की स्थिति के बारे में मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि आज ही सदन में यह आश्वासन दिया जायगा। अजमेर के रहने वाले अजमेर के पड़ौसी किशनगढ़ की जैसी स्थिति हुई है उसको देख कर वे शंका करते हैं। उस शंका के निवारण करने में आज मंत्री महोदय की घोषणा काफी कारगर साबित होगी।

जहां तक इस संकल्प के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है उसमें इस आयोग ने अपनी ओर से जो सिफारिशें की हैं उन सिफारिशों के संबन्ध में राजस्थान सरकारने अपनी स्वीकृति देते हुए कुछ बातों की ओर भी इच्छा जाहिर की है। उनके उपर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। और वह जो दो बाते दी हैं उनमें लोक सेवा आयोग की नियुक्ति और अखिल भारतवर्षीय सेवाओं के बारे में चर्चा की गई है। मैं यह समझता नहीं कि इन दोनों बातों के बारे में, फिर से गौर करने के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने क्यों कहा है?

जहां तक सेवा आयोग की नियुक्ति का संबन्ध है इस रिपोर्ट में दो बातें कही गई हैं। एक तो यह है कि जहां तक मुमकिन हो दो रियासतों का एक सेवा आयोग हो और दूसरी यह है कि सेवा आयोग की नियुक्ति प्रेसीडेण्ट करे। सेवा आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण है और वह बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिये, दबाव और प्रभाव से एक दम मुक्त। वह अगर दबाव और प्रभाव से मुक्त नहीं रहा तो राज्य कर्मचारी उतने योग्य नहीं हो सकेंगे और उनको उनकी योग्यता के अनुसार स्थान नहीं मिलेगा।

राजस्थान में नियुक्तियों की जो आज स्थिति है उससे साफ जाहिर होता है कि स्टेट्स रिऑर्गेनाइज़ेशन कमीशन ने जो सेवा आयोग के बारे में रिपोर्ट दी है वह दुरुस्त है और इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। जहां तक अखिल भारतवर्षीय सेवाओं का सवाल है आयोग ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है और वह भारत की ऐक्यता के लिये आवश्यक है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं इसके बारे में स्पष्टीकरण चहूंगा कि इन दो बातों के बारे में फिर से विचार करने के संबन्ध में इस संकल्प में किस आधार पर विचार प्रकट किये हैं।

[श्री चांदमल मेहता]

जहां तक और हिस्से मिलाने आदि का सम्बन्ध है और जिनके सम्बन्ध में कई मित्रों ने विचार जाहिर किये हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आयोग में देश केमाने हुए ३ व्यक्ति थे और २१ महीनों के परिश्रम के बाद उन्होंने यह रिपोर्ट तैयार की है और जो राजस्थान को दिया जा सकता था वह देने की उन्होंने सिफारिश की है। राजस्थान को जो कुछ दिया गया है या राजस्थान को उदारता पूर्वक देने जा रहे है। इस रिपोर्ट में वह है। इसलिये इसे हूबहू स्वीकार कर लेना चाहिये।

(श्री रूप नारायण शास्त्री और मथुरादास माथुर दोनों एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री रूप नारायण शास्त्री—माननीय अध्यक्ष,...

श्री अध्यक्ष—श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना)—माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलते हुए मैं दो-तीन बातें सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं वैसे जो रिपोर्ट स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने शाया की है और जो सिफारिशें इसमें दर्ज की गई हैं, इसके बारे में सदन के सदस्यों ने इसको गौर से पढ़ा होगा। वैसे इस रिपोर्ट में कई नये राज्य पैदा किये गये हैं और कई पुराने राज्यों को खत्म किया गया है और कई राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने की सिफारिशें की गई हैं। इसके लिये यह सब बाते महत्व की हो सकती हैं, मगर इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ सैद्धान्तिक बातें जो भविष्य में इस देश की तस्वीर बदलने वाली हैं वह पेश की है। सिर्फ सीमा बदलने की नहीं जो हमारे यहां का सोशियल स्ट्रक्चर है और जो इस देश में सोशियलिस्टिक पेटर्न कायम करने का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है उसकी ओर कदम बढाने के लिपे इस रिपोर्ट में कमीशन ने सिफरिशें की हैं।

इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी सिद्धान्त की जो बात कही गई है वह यह है कि अब इस देश में 'ए' 'बी, 'सी स्टेट्स नहीं रहेगी। यह एक बहुत बड़े सिद्धान्त की बात इस रिपोर्ट में कहीं गई है। वैसे राजस्थान 'बी' राज्य था, अजमेर 'सी' राज्य था और हिन्दुस्तान में कइ राज्य 'ए' श्रेणी के राज्य कहलाते थे। सिर्फ नाम में ही फर्क हो ,यह बात नहीं। हमारे संविधान का अनुच्छेद ३७१ हमारे 'बी' और 'सी' राज्यों, शासन प्रणाली के सम्बन्ध में, केन्द्र के हस्तक्षेप करने के अधिकार के बारे में था यह मैं मानताहूं कि गत चुनावों के बाद में इस अनुच्छेद का अमल एक मौके पर हुआ और इसको भी वापिस ले लिया गया और केन्द्रीय सरकार ने हल्के हल्के यह विचार किया कि हल्के हल्के इस हस्तक्षेप को खत्म किया जाय; पर आखिरी रूप में इस रिपोर्ट की सिफारिशों में इसे दफनाया गया है।

वैसे इस चुनाव के पहले 'बी' स्टेट्स में एडवाइजर्स नाम की संख्या थी, जो हमारे यहां के राज्य की एक्टीविटीज की निगरानी रखती थी और इस रिपोर्ट के बाद में तो अनुच्छेद ३७१ को भी तरमीम करना पड़ेगा, हमेशा के लिए खतम करना पड़ेगा और जो हम 'बी'

[श्री मथुरादास माथुर]

राज्य में रहते हैं यह अनुभव करते हैं कि हमारा राज्य भी हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों के मुकाबले में बराबर है और केन्द्र का दखल नहीं होगा। यह एक क्रान्तिकारी परिवर्तन शासन में हुआ है। इतना ही नहीं; 'ए', 'बी' में यह फर्क था कि 'बी' राज्यों के हैड्स फ्युडल्स होते थे, जिन्हें राजप्रमुख कहते हैं। 'सी' राज्यों के हैड्स लेफ्टीनेन्ट गवर्नर्स या चीफ कमिश्नर्स होते थे। 'सी' राज्यों में यह होता था कि चुनी हुई हुकूमत के ऊपर ब्युरोक्रेटिक हैड चीफ कमिश्नर या लेफ्टीनेन्ट गवर्नर होता था। 'बी' राज्यों में चुनी हुई हुकूमत के ऊपर सामन्तशाही हैड होता था। तो इस प्रकार एक बड़ा परिवर्तन इस रिपोर्ट में हुआ है, इस रिपोर्ट की सिफारिशों में हुआ है। चीफ कमिश्नर और लेफ्टीनेन्ट गवर्नर हटा दिये गये हैं और राजप्रमुख को भी हटा दिया गया।

साथी हरिकृष्ण व्यास बहुत उत्सुक हैं कि इस प्रस्ताव में तरमीम रखी जाय, पर उन्होंने माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की आखिरी पंक्ति की ओर गौर नहीं किया। आखिरी पंक्ति में है कि राज्यों का केवल एक ही वर्ग रखा जाय, 'ए' स्टेट्स की तरह एक ही पेटर्न रहे या कुछ प्रदेश रहें तो केन्द्र द्वारा प्रशासित हों। 'ए' पेटर्न रखने के माने यह हैं कि संविधान के अनुच्छेद ३७१ को एबोलिश करना होगा, राजप्रमुख की प्रथा को हटाना पड़ेगा, चीफ कमिश्नर और लेफ्टीनेन्ट गवर्नर के पदों को हटाना पड़ेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—राजप्रमुख को हटाना पड़ेगा, इस पर हमें बहुत सन्तोष है ; ऐसा लिखा जाय।

श्री मथुरादास माथुर—आपको बहुत संतोष है और हमको आपसे ज्यादा संतोष है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लिख दो।

श्री मथुरादास माथुर—हमें इस बात का भी सन्तोष है कि संविधान का अनुच्छेद ३७१ भी एबोलिश कर दिया जायगा। हमारे यहां एक वर्ग रहना चाहिये, इसमें सब बातें आ जाती हैं, इसमें राजप्रमुख को हटाने की, चीफ कमीश्नर को हटाने की सब बातें आ जाती है और अनुच्छेद ३७१ को हटाने की भी बात आजाती है। तो आप तो इसे एक सीमित दायरे में देखते हैं और हम इसे बहुत बड़े दायरे में देखते हैं......

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह रखा जाय कि एक वर्ग रखने और राजप्रमुख प्रथा का अन्त करने की सिफारिश की गई है, इसके लिये हमें संतोष है,.......

श्री मथुरादास माथुर—तो फिर अनुच्छेद ३७१ को हटाने का भी लिखना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह तो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है।

श्री मथुरादास माथुर—तो केवल एक ही वर्ग रखा जाय, इसमें यह सब ऑटोमेटिकल्ली आ जाता है। इसीलिये मुझे आपके बोलने के बावजूद भी खड़ा होना पड़ा।

माननीय उपाध्यक्ष, इसलिये माननीय साथी, जो जोधपुर से तशरीफ लाये हैं, उन्होंने जो सुझाव दिये थे वे सुझाव माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रस्ताव की आखिरी पंक्तियों में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें संतोष अमूमन होता तो नहीं है, पर इस मौके पर जरूर हुआ होगा। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इस रिपोर्ट में यह पाता हूँ कि उन्होंने राजस्थान को 'बी' श्रेणी से 'ए' श्रेणी में परिणत किया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अगर यह बात नहीं होती तो डिस्क्रिमीनेटरी ट्रीटमेंट बिटवीन 'ए', 'बी' एण्ड 'सी' स्टेट्स में कायम रहता और 'सी' स्टेट कायम रहती और जब 'सी' स्टेट कायम रहती तो अजमेर को राजस्थान में आना कठीन होता। इसलिये इस डिसीजन से अजमेर राजस्थान में आ गया है। इसके अलावा हमारे यहां शासन में फ्यूडल करेक्टर की डेमोक्रेटिक तरीकों से तब्दीली हुई है और इसके साथ साथ जो सेन्टर का दखल होता था वह भी हट गया हैं, जिसको आज के इस डेमोक्रेटिक युग में इधर या उधर बैठने वाले कोई भी नहीं चाहते। इसलिये राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लिखने वाले धन्यवाद के पात्र हैं।

दूसरी चीज यह है कि अभी कुछ चर्चायें भरतपुर और धौलपुर के बारे में हुई। यह मैं एक सैद्धांतिक चीज मानता हूँ कि जिस चीज को आप अच्छा समझें, करें और करने की उसको आजादी भी है मगर जो चर्चा सदन में हुई उसे देखते हुए जो रिपोर्ट हमारे सामने है उसमें न तो भरतपुर और न धौलपुर को यू. पी. में मिलाने की बात है। इस संबंध में पन्नीकर का डिसेन्टिंग नोट भी है। उसमें भी कहीं जिक्र नहीं आया। डिसेन्टिंग नोट को देखने से मालूम होगा कि पन्नीकर साहब ने जो सदस्य भरतपुर से तशरीफ लाये हैं उनसे प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि यह आगरा के नजदीक है, हमको यह बहुत ही एन्चेन्टिंग (enchanting) नजर आया, तो हमने 'हां' कह दिया; लेकिन पन्नीकर साहब ने अपने नोट में आगरे को अलग रखते हुए भी उसमें भरतपुर और धौलपुर को नहीं रखा। इसलिये कहीं भी सिफारिश ऐसी नहीं है जिसमें भरतपुर और धौलपुर को आगरा और यू. पी. में मिलाने की रिपोर्ट की गई हो। इसलिये जहां तक रिपोर्ट का संबंध है भरतपुर और धौलपुर को न तो आगरा और न यू. पी. में स्थान दिया गया है। मगर उनका स्थान राजस्थान में ही है। पन्नीकर ने आज से तीन-चार साल पहले जब राजस्थान बना उस वक्त भारत सरकार ने लोगों की राय जानने के लिये शंकरदेव कमेटी कायम की थी, जिसने सब जगह का दौरा करके लोगों की राय ली थी, एक तरह का प्लेबीसाइट था। प्लेबीसाइट तो नहीं कह सकते लेकिन इस संबंध में लोगों की राय ली थी, उस समय बहुत से साथी यह नहीं चाहते थे कि वे यू. पी. में जावें। इसलिये उन्होंने अपनी राय राजस्थान के साथ रहने की दी। उस राय को तोल कर उस कमेटी ने यह फैसला किया और भारत सरकार को रिकमन्ड किया कि भरतपुर और धौलपुर राजस्थान के हैं और उनकी रिकमन्डेशन पर भारत सरकार ने यह मामला उस समय स्टेट मिनिस्ट्री जो इस प्रकार के मामलों को डील करती थी उसको दे दिया और उसने उनकी रिकमन्डेशन को मंजूर किया और उसके बाद

[श्री मथुरादास माथुर]

भरतपुर और धौलपुर राजस्थान के अंग बने । इसलिए पन्नीकर साहब ने कहा है कि दो-तीन साल बाद जब यह कहा जाता है तो हमारे पास ऐसा कोई डेटा (Data) नहीं है जिससे कि शंकरदेव की सिफारिशों को रद्द किया जावे । इसलिए अब कोई नया प्रश्न पैदा नहीं होता । यह बात वाजिब थी, जिसे पन्नीकार ने और शंकरदेव कमेटी ने मंजूर किया । आप, चार साल हुए हमारे घर में आये और अब यह प्रश्न पैदा हो कि हम आपके घर में रहना नहीं चाहते, तो यह सोचने की बात है । अब प्रश्न यह उठ सकता है; भाषा वहां की मिलती-जुलती हैं । माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस सम्बन्ध में नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रान्त है और हर बोर्डर पर रहने वालों की भाषा दूसरी स्टेटों की भाषाओं से मिलती-जुलती है । अगर आप गंगानगर में जावें तो आपको मालूम होगा कि वे लोग पंजाब के पड़ोसी हैं, वे लोग पंजाबी बोलते हैं । इसका मतलब यह तो नहीं होता कि उनको पंजाब में मिला दिया जावे । बाड़मेर वाले सिन्धी भाषा बोलते हैं इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें पाकिस्तान में मिला दिया जावे । डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात के पड़ोसी हैं । हर बोर्डर के ऊपर भाषा में फर्क मिलेगा । हमारे यहां कहावत है कि २० गांव के बाद भाषा बदल जाती है । बोर्डर स्टेटों पर भाषा का काफी इफेक्ट होता है और यह सब जगह होता है इसलिए उनको यह भय है कि राजस्थानी भाषा हो गई तो हम क्या करेंगे ? अगर राजस्थानी कोर्ट भाषा बन गई तो क्या करेंगे, आफत हो जायगी ? मगर उनको इस प्रकार का भय नहीं रखना चाहिये । अगर मद्रास में कोर्ट लेंग्वेज हिन्दी बन गई तो वे क्या करेंगे ? कहने का मतलब यह कि अगर कोई भाषा में थोड़ा बहुत अन्तर हो तो भी उसे सीखना पड़ता है ।

धौलपुर से आनेवाले एक सज्जन की तरफ से एक सुझाव आया है और वह यह है कि राजस्थान से धौलपुर जाते समय यू. पी. में होकर जाना पड़ता है और वह एक ऐसा २०-२५ गांव का एरिया है, यदि यह एरिया २०-२५ गांवों का राजस्थान में मिला दिया जावे तो हमें यू. पी. प्रांत में होकर नहीं जाना पड़ेगा । इसलिये इस पर मुख्य मंत्रीजी अवश्य गौर करेंगे और मुनासिब हो तो इसके लिये प्रयत्न करेंगे ।

अब मैं, माननीय उपाध्यक्ष, एक-दो बातें और अर्ज करना चाहता हूँ और खास तौर से राज्य पुनर्गठन कमीशन के सदस्यों को इस बात के लिए मुबारिकबाद दे देना चाहता हूँ कि उन्होंने राजस्थान की बहुत बड़ी मांग जो थी, जो कोई महज राजनैतिक मांग नहीं थी, क्षेत्र के लिहाज से मांग नहीं थी, राजस्थान की शान की मांग थी और वह मांग इस कमीशन के बनने के बाद से नहीं पहले से ही थी और सबने, चाहे वे किसी विचारधारा के लोग थे, एक आवाज से जब आबू हमसे ले लिया गया था, मांग की । कांग्रेस कमेटी ने, पब्लिक ने और दूसरे लोगों के आवाज और विरोध करते करते भी वह चीज हम लोगों से अलग करदी गई । वही चीज, आज हमें खुशी है कि इस रिपोर्ट में देखने को मिलती है कि आबू राजस्थान का अंग है और राजस्थान में रहना चाहिये और मिला दिया गया । इसके लिए यह सदन भी मुबारिकबाद का पात्र है कि सभी सदस्यों ने इसके लिए अपने अपने व्यक्तिगत हैसियत से व सामूहिक हैसियत से प्रयत्न किये और कमीशन के सदस्यों ने

[श्री मथुरादास माथुर]

उस चीज को रिअलाइज़ किया और यह चीज वाजिब भी थी। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और इसके लिये जो प्रस्ताव में चीज है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ।

इसके अलावा आबू के लिए गुजरात के सेठ-साहूकारों और वहां की कांग्रेस कमेटी का हमला भी राजस्थान पर था जो आबू पर अपनी दृष्टि लगाये बैठे थे। हमने काफी मुकाबला किया। कई लोग शहीद हुए और उनकी वजह से आबू हमें मिला। गुजराती लोग इसके साथ साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर को भी चाहते थे, हमसे छीनना। मगर बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों हमारे यहां रह गये और इस रिपोर्ट द्वारा हमको गुजरात के जबरदस्त आन्दोलन से बचाया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके साथ साथ एक और हमला राजस्थान के भविष्य के बारे में कागजों में बड़ा जोर से हो रहा था पंजाब की तरफ से, अकाली दल की तरफ से और वही पेर्टन जो आबू पर हमला करते थे। वही दल, साम्प्रदायिक दल गंगानगर को राजस्थान से अलग करना चाहते थे और खास तौर पर हनुमानगढ़ इलाके को, लेकिन हमें खुशी है कि उन हमलों से इस कमीशन ने बड़ा प्रोटेक्शन दिया क्योंकि हमें शंका थी कि यदि इस प्रकार से कमीशन ने रिकमन्ड कहीं कर दिया तो फिर राजस्थान को उसको लौटाने में दिक्कत आयेगी।

आज सदन में कोई ऐसा साथी नहीं जो उस कमीशन की रिपोर्ट पर उसको धन्यवाद नहीं देता हो।

हमारे इलाके से सिरोंज गया है जो कि हम और आप सब मानते थे कि उसको मध्य-भारत में चला जाना चाहिये, except the member; इसलिए वह चला गया तो वापिस सुनेल आ गया, कोई खास बात नहीं हुई। आबू हम चाहते थे, वह आगया; अजमेर हम चाहते थे वह भी आगया। वैसे हम कच्छ भी चाहते थे और कांडला पोर्ट भी हमें आकर्षित करता था। वे नहीं आये तो नहीं आये; अतः मैं कमीशन के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्य मन्त्रीजी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री **रूपनारायण शास्त्री (नीम का थाना)**—माननीय उपाध्यक्ष, जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ उसके सम्बन्ध में अनेक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस सम्बन्ध में मैं नहीं समझ रहा कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में किसी को भी मतभेद हो। मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूँ। तमाम सदन के जो सदस्य हैं, उन सब की भी यही हार्दिक इच्छा थी।

आबू के लिये वाम पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों ने एक होकर प्रस्ताव रखा था जिसकी प्राप्ति होना कठिन था, लेकिन आज हम कहते हैं कि आबू आ गया जब कि हमें इसके मिलने की

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

आशा है। इससे पूर्व आबू हमारा कहां था, हमसे जा चुका था हमारा केवल प्राप्त करने का प्रयत्न था और जैसा कि पूर्व मित्र ने कह दिया था कि जहां तक हो सकेगा उसकी प्राप्ति के लिये कोशिश करेंगे, भारत सरकार से या बम्बई सरकार से लड़ाई करेंगे। तो उसका आना संदेहास्पद था। अतः सबसे प्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूँ कि आबू के आजाने से जो प्रसन्नता हुई हैं उससे अधिक प्रसन्नता की बात और नहीं हो सकती थी।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान से सिरोंज चला गया। यह जो हिस्सा हमारे राजस्थान से चला गया है उसके लिए किसी को कष्ट नहीं हो सकता है। वह तो हमारी तरफ एक तरह से अधिकांश था राजस्थान का। वह राजस्थान के लिये अत्यन्त आवश्यक नहीं था और हमने ही उसके लिए सिफारिश की थी। जब सिरोंज हमारी तरफ से चला गया तो यह आपत्ति पेश करना सदन के सदस्यों के लिये उपयुक्त नहीं था।

तीसरी बात यह कही जाती है कि महेन्द्रगढ़ हमको नहीं मिला। यह सही है कि भाषा और संस्कृति को देखते हुए वह इलाका राजस्थान से मिलाया जाना चाहिये था। मिलता तो ठीक होता। सब बातें मन चाही ही हो जायं तो यह कठिन है। आयोग ने जो कुछ किया है उसको मैं न्यायोचित मानता हूँ और जो कुछ राजस्थान के पक्ष में हुआ है उसको देखते हुए ये तीनो आपत्तियां दूर हो जाती हैं। सिरोंज की एवज में सुनेल मिल गया। लोहारू तो मिल ही गया है जिससे झुन्झूनू में भी अभिवृद्धि होने वाली है। यह पहले जो हिसार का अंग बन चुका था वह पुनः प्राप्त हो गया है, यह भी हमारे लिये प्रसन्नता की बात है। लोहारू मिल गया और अजमेर भी मिल गया जिसके लिए हम कई वर्षों से मांग कर रहे थे। अजमेर का मिल जाना, आबू का मिल जाना लोहारू का मिल जाना, इन सब के मिल जाने पर भी यदि असंतोष है तो बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। यदि अति लोभ होगा, यदि जो मिला है उसको संतोषप्रद न मानें और दोष निकालें तो वह बुद्धिमानी भी नहीं होगी। महेन्द्रगढ़ के बारे में कहा जा सकता है कि वह मिल जाना चाहिये, लेकिन सब बातें हमारी इच्छाओं के अनुसार मन्जूर हो जाना तो कठिन था। जो कुछ मिला है, जो कुछ हमारे पक्ष में हुआ है वह न्यायसंगत ही हुआ है।

कुछ मित्रों ने मरुस्थल बनाने के बारे में और पश्चिमी राजस्थान बनाने आदि के बारे में विचार व्यक्त किये थे। मैं निवेदन करूं कि २१ राज्यों में विभक्त इस राजस्थान को बनाने में कितना बड़ा परिश्रम करना पड़ा था और कितने बड़े परिश्रम से यह मिल सका था। जो २१ ईंटें अलग अलग बिखरी पड़ी थीं उनको एक जगह लाकर एक विशाल इमारत बनायी और फिर उसको तीन टुकड़ों में कर देना, यह प्रान्त के हित में अच्छा नहीं है। इसलिये प्रान्त के हित को देखते हुए और एकीकरण को देखते हुए जो कुछ हुआ है, जो कुछ है वह ठीक है। मैं हृदय से आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करता हूँ। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। इसके लिये मैं धन्यवाद भी देता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री कंवरलाल जेलिया (लाडपुरा)—माननीय उपाध्यक्षजी, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कई सदस्यों ने सदन में अपने विचार प्रकट किये। मैं सदन के माननीय नेता के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और एक-दो माननीय सदस्यों ने जो बातें सदन में कहीं हैं उनकी राय से सहमत नहीं हूँ।

मैं परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य की विचारधारा से सहमत नहीं हूं। अपने विचार रखने के दौरान में उन्होंने कहा कि सदन के नेता को अजमेर को राजधानी रखने के विषय में कहना चाहिये था। मैं समझता हूं कि इस तरह की विचारधारा को इस मौके पर खड़ा करना, इस अवसर को देखते हुए उचित नहीं होगा। अजमेर का स्वागत करते हुए, संतोष दिलाते हुए, सारी चीजों का समाधान कर दिया था। हम हृदय से अजमेर का स्वागत करते हैं। यह विश्वास दे ही दिया गया था कि जो वाजिब चीजें हैं उन पर ध्यान दिया जावेगा। उनके किशनगढ़ के निवासी होने के नाते उस ओर आकृष्ठ हो जाना आवश्यक है लेकिन इस मौके पर इस प्रकार की विचारधारा नहीं रखनी चाहिये थी। जो सारे राजस्थान के हित में हो वे ही बातें रखनी चाहिये थीं। मैं यह चाहूंगा कि हम यदि अपने विचारों को, अपने व्यक्तिगत या किसी क्षेत्रीय भावना की वजह से तोड़-मरोड़ कर रखें तो वह प्रान्त के हित में नहीं होगा। जहां तक जिन हिस्सों के बारे में महेन्द्रगढ़ के बारे में विश्वास था वह हमको मिला नहीं, आबू हमको मिल गया है, यह संतोष का विषय है। सिरोंज का हिस्सा राजस्थान से चला गया, वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से चला गया, प्रशासनिक सुविधाओं को देखते हुए वह चला गया; वह एक तरह से सुविधाजनक ही हुआ, उसका जाना वाजिब था। क्षेत्रीय भावना का तो मोह होता ही है। सिरोंज का हिस्सा गया है। .....

श्री भैरूसिंह (विभाजन सं० १६)—क्षेत्रीय भावना से आप को मोह है या नहीं?

श्री कंवरलाल जेलिया—मैंने सुना नहीं।

श्री भैरूसिंह—क्षेत्रीय भावना से आपको मोह है या नहीं?

श्री कंवरलाल जेलिया—मेरे मोह का सवाल इसलिये पैदा नहीं होता कि अगर मेरी विचारधारा को आपने सुना होता तो आपको पता लगता कि मुझे कुल मिलाकर संतोष है। अपने क्षेत्र का हिस्सा आता है लेकिन मोह खत्म हो जाता है वहां की जनता को देखते हुए, वहां की जनता की सुविधाओं को देखते हुए मुझे संतोष है कि उनको वहां सुविधायें मिलेंगी।

और दृष्टि से देखा जाय तो हमारे सचेतक महोदय ने जैसे विचार प्रकट किये हैं कि हमारी 'बी' क्लास की स्टेट 'ए' श्रेणी में आ गई, यह हमारे लिये बहुत गौरव की बात है, यह हमें एक प्रकार से गौरव मिला है। हमारे राजस्थान के 'बी' श्रेणी में होने के कारण जो कुछ सैन्टर का नियन्त्रण था और जो भौगोलिक कठिनाई थी वह राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट से सब हल हो गई। इसलिये हमें इस रिपोर्ट पर सन्तोष प्रकट करना चाहिये। हमें इस बात की बड़ी खुशी है। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव सदन के नेता ने रखा है उस मूल प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ)—उपाध्यक्ष महोदय, जो सीमा आयोग की रिपोर्ट जनता के सामने आई है और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन तो करता ही हूं। उस प्रस्ताव के अन्दर उन्होंने बतलाया कि जिस तरह का शासन अजमेर मेरवाड़ा के अन्दर चल रहा है उसी तरह का शासन राजस्थान में उनके सम्मिलित होने पर भी चलता रहेगा। वहां जिस तरह की शासन प्रणाली है उसी तरह की रहेगी। लेकिन जब कि वह प्रान्त राजस्थान में मिले तो उस समय लोगों की सेलेरी जो जोधपुर और उदयपुर और बीकानेर के समय में थी उसी तरह क्या अब भी अजमेर के राजस्थान में मिलने पर रहेगी? अजमेर के क्लर्कों, ऑफिसरों व चपरासियों को यहां के कर्मचारियों से ज्यादा वेतन मिलता है, इसलिये मेरी माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना है कि क्या उन सब पर एक समान बर्ताव किया जायगा या जिनकी सेलेरी कम है उनकी वही रहने दी जायगी? यदि ऐसा है तो यह कोई अच्छी बात नहीं है कि अजमेर मेरवाड़ा के आफिसरों, क्लर्कों और चपरासियों की तनख्वाह दूसरी रहे और राजस्थान के क्लर्क चपरासियों की तनख्वाह दूसरी रहे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आफिसरों की तनख्वाह में चेन्ज भले ही न हो किन्तु क्लर्क्स और चपरासियों की तनख्वाह में वृद्धि होनी ही चाहिये। जिस प्रकार के लोग अजमेर-मेरवाड़ा के अन्दर रहते हैं उसी प्रकार के लोग राजस्थान में भी रहते हैं। तो फिर तनख्वाह में इतना भेद नहीं होना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें भेदभाव न रखा जाकर उदारता बरती जानी चाहिये।

आबू राजस्थान में इतनी कोशिशों के बाद मिला है, यह बड़ी खुशी की बात है। दूसरे देशों में इस बात की बड़ी चर्चा रही कि आबू को बम्बई प्रान्त में जबरदस्ती मिला दिया गया। आबू की संस्कृति राजस्थान से मिलती-जुलती है। दूसरे देशों में भी आबू की तारीफ है, यहां की संस्कृति और कल्चर की तारीफ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीमा आयोग ने आबू को राजस्थान में मिलाना पसन्द किया ताकि राजस्थान की इज्जत बढ़े। इसलिए जो रिपोर्ट राजस्थान के संबंध में दी गई है उससे किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिये। जिस समय सीमा आयोग यहां आया उस समय जो प्रतिनिधि उनसे मिले उन्होंने महेन्द्रगढ़ और नारनोल को राजस्थान को देने के लिये कहा था लेकिन जब उन्होंने उसको पंजाब को दे दिया है तो हमें किसी प्रकार का आन्दोलन नहीं करना चाहिये, हालांकि वहां की जनता राजस्थान में मिलना चाहती है और वह पहले भी राजस्थान में मिला हुआ था।

अब राजस्थान 'ए' क्लास स्टेट हो गई, इस बात की राजस्थान वालों बहुत खुशी हुई। उतनी खुशी कभी नहीं हुई। जब राजस्थान बना था तो इतनी खुशी हुई थी। राजप्रमुख भी अब 'ए' क्लास स्टेट बन जाने के कारण नहीं रहेंगे। इस प्रकार से कुछ खर्चा भी कम होगा। इस तरह दिन प्रतिदिन राजाओं को जो प्रिवी पर्स मिलती है उसमें भी कमी आयेगी। हो सकता है वह बन्द भी कर दी जाय। 'ए' क्लास स्टेट होने से जनता को बहुत सुविधा हो गई, इसलिये सरकार चलाने वाले जो है उन पर इस कमीशन की रिपोर्ट द्वारा जो कुछ होने जा रहा है वह मुनस्सर है। आज जो सरकार चला रहे हैं उनके दिमाग में जो एक प्रकार की बुराई पैदा हुई है वह जब तक दूर नहीं होगी तब तक जनता का इस कमीशन की रिपोर्ट से भला होने वाला नहीं है। जब तक सरकार चलाने वालों के दिमाग में, जो एक दूसरे से न मिलने की भावना है, जब तक वह बनी रहेगी तब

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

तक जनता को सुख-शान्ति नहीं मिल सकती। इसलिये ऐसी भावना रहनी चाहिये। कमीशन की रिपोर्ट के बावजूद हमें प्रेम और सद्भावना जनता के प्रति दिखानी चाहिये और आपस में मिल जुल कर रहना चाहिये। क्योंकि राजस्थान में अजमेर-मेरवाडा के मिलने के बाद आज यहां की जनता को खुशी है और अजमेर की जनता को भी खुशी है लेकिन आज कोई कुछ ही कहे लेकिन जो आज असेम्बली हैं, इसके सदस्य भी यह सोचते हैं, इतना होने के बावजूद भी कि जितनी जनता सुखी होनी चाहिये उतनी नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ काम हुआ, प्रोजेक्ट के काम भी हो रहे हैं, डेवल्पमेन्ट के भी काम हो रहे है। इस तरह से करोड़ों रुपया खर्च हो रहा, है, फिर भी जनता अपने आप को सुखी अनुभव नहीं करती।

(घंटी)

श्री मोदी—क्या मेरा समय खत्म हो गया, उपाध्यक्ष मोहदय।

श्री उपाध्यक्ष—इस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में ही आप बोलये, इससे संबन्धित बातें ही कहें।

श्री मुक्तिलाल मोदी (जारी)—थोड़ी बहुत इधर-उधर की बातें आ ही जाती हैं। तो ऐसी हालत में सीमा आयोग जो मुकर्रर किया गया और जो रिपोर्ट उसने दी उससे जितनी बड़ी खुशी हुई वह खुशी सही मायने में तभी हो सकती है जब कि सरकार चलाने वाले लोग सहयोग से काम करें! जब तक यह चीज पैदा नहीं होगी राजस्थान का भला नहीं हो सकता। मैं तो यह मान कर चलता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो रिपोर्ट सीमा कमीशन ने दी और राजप्रमुख के सम्बन्ध में जो सिफारिश की, राजप्रमुख का पद खत्म हो गया, इससे काफी धनराशि की बचत होगी, इससे हम जनता के भले के लिए दूसरे कार्य कर सकेंगे। इससे हमें बहुत खुशी है। इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपने भाषण में यह भी बता देते कि अजमेर-मेरवाड़ा के क्लर्क और चपरासियों को जो वेतन मिलता है उससे किसी कदर कम राजस्थान के क्लर्क, चपरासियों को नहीं मिलेगा। यदि इस प्रकार कदम उठाया गया तो जनता को बड़ी खुशी होगी। आज तक एक आदमी के पीछे बीस आदमी पलते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बीसों के दिमाग में यह चीज आजायेगी कि इस रिपोर्ट में हमें किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। राजस्थान सरकार के दिमाग में यह बात होनी चाहिये, इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर से प्रार्थना करूगा कि वे इस बारे में सोच-विचार करें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अजमेर मेरवाड़ा के मिलने के बाद इस का वातावरण फैल सकता है।

यह लोग, अजमेर मिल रहा है और मिलने के बाद तो और भी इस तरह का वातावरण फैला सकते हैं। कुछ दिन पहले, राजस्थान निर्माण के पहले से ही राजस्थान में वातावरण

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

फैला था। अब अजमेर मिल रहा है और मिलने के बाद और भी फैला सकते हैं। इसलिये पहले ही यह चीज कर देनी चाहिये कि राजस्थान के जो ऑफिसर्स, क्लर्क्स या चपरासी हैं उनके दिमाग में यह चीज नहीं आये।

राजस्थान पर सीमा आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की उसके लिये हम बहुत खुश हैं और उस रिपोर्ट को पहले भी हम चाहते थे और अभी भी चाहते है। परन्तु इसके अन्दर राजस्थान के कई भाइयों ने कहा है कि उसको और मिलाया जाय। ऐसे कुछ कारणों से रिपोर्ट से फायदा नहीं होगा, जो रोला मचाकर कर लें। परन्तु जो लोग इन्ट्रेस्टेड हैं वे कहते हैं उससे कोई फायदा नहीं है। परन्तु यह फायदे की चीज और होनी चाहिए, यह मुख्य मंत्रीजी से मेरी प्रार्थना है। उस पर जरूर ध्यान देंगे और इस रिपोर्ट का मैं समर्थन करता हूँ।

श्री जगतसिंह भाला (बड़ी सादड़ी-कपासिन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट पेश की गई है और जिसके ऊपर हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। विरोध में बैठने के कारण केवल विरोध ही किया जाय, यह उचित नहीं होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल राजस्थान के लिए ही नहीं, यह रिपोर्ट जो समस्त भारतवर्ष के लिए है, उसका समर्थन करता हूं। उसके मुताबिक कार्य होना चाहिए। हमारे नेता भी कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले यह फरमाते थे कि राज्यों में ऐसा वातावरण बनाना चाहिये कि जिससे सभी जगह शान्तिपूर्वक इस रिपोर्ट को लागू कराया जा सके और बाद में कुछ चोटी के नेताओं ने ऐसा संकेत किया कि इस रिपोर्ट में कुछ खामियां रह गई हैं, उसके फलस्वरुप ही देश के कुछ भागों में अशान्ति हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें देखना चाहिए कि अपने राष्ट्र का हित हो। किसी इलाके के इधर-उधर जाने में पछतावा या खुशी नहीं होनी चाहिये।

राजस्थान के लिये सौभाग्य का विषय है कि आबू और अजमेर जो राजस्थान के ही भाग थे वे राजस्थान को दे दिये गये है। उसके लिए हमें प्रसन्नता है। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उस एरिया के नजदीक रहना पड़ता है, वह मन्दसौर का एरिया है और मन्दसौर के लिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान ने प्रार्थना की परन्तु उनके प्रयत्न में कुछ शिथिलता थी उसके कारण वह हमें नहीं मिल सका है। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें यह बात लिखी हुई है कि मन्दसौर के एरिया का जो हमारा प्रस्ताव था कि वह राजस्थान में होना चाहिये वह ज्यादा सबल था बनिस्बत और एरिया के और उसमें राजस्थान सरकार ठीक रूप से ध्यान देती तो वह एरिया हमें मिल सकता था। मन्दसौर दूसरी जगह रहे उसकी चिन्ता नहीं है, लेकिन मन्दसौर का ऐसा एरिया है जो राजस्थान के नक्शे के अन्दर घुसा हुआ चला गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस एरिया के लिए, सौभाग्य से वहां के उन लोगों ने यही इच्छा व्यक्त की है कि वह राजस्थान के अन्दर

[श्री जगतसिंह झाला]

सुखपूर्वक रह सकते हैं अनिश्चित मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी जैसा कि स्कई लोग कहते हैं जबलपुर बनेगी । वह बहुत दूर होगी । मध्य भारत रहकर राजधानी इन्दौर या ग्वालियर होती तो मन्दसौर के लोग उसमें रहने के लिए तैयार थे । इस चीज को देखते हुए हमें जोर देकर कहना चाहिये कि मन्दसौर का एरिया राजस्थान में मिला लिया जाय तो वह मन्दसौर और राजस्थान दोनों के लिए हितकर होगा । मैं इतना ही कहकर इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूँ ।

श्री प्रभुदयाल (चूरू)—उपाध्यक्ष महोदय, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर प्रस्ताव जो मुख्य मन्त्री ने रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ । वैसे इसमें कई शिकायतें भी रह सकती हैं कि उसमें नारनोल और महेन्द्रगढ़ का इलाका नहीं आया और वह इस तरह की शिकायतें हुआ करती हैं, लेकिन जो आबू के बारे में हमारी शिकायत थी उसके बारे में जो हम काफी अर्से से झगड़ रहे थे वह आबू हमें मिल गया है । मैं माननीय मुरारजी देसाई को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने हृदय से इस इलाके को राजस्थान को दे दिया ।

इसके अलावा अजमेर के बारे में, काफी अर्से से यह बीच में हिस्सा रहा हुआ था और यह भी ठीक नहीं था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में इसको राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया है और इसमें अजमेर वालों को बहुत फायदा होगा और राजस्थान का ऐसा अच्छा नक्शा हो जायगा कि अजमेर की तरक्की भी हो जायगी ।

हम इस रिपोर्ट का स्वागत करते हैं । इतना कह कर मैं मुख्य मंत्रीजी की रिपोर्ट (प्रस्ताव) का समर्थन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६) माननीय उपाध्यक्ष महोदय,......

('टाइम हो गया है' की आवाजें)

शुरू करूं या कल का समय मुझे मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—कितना टाइम चाहिए आपको ?

श्री भैरूंसिंह—करीब आधा घन्टा तो चाहिए ही ।

("Tomorrow-Tomorrow" की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है तो आप कल बोलिये । और कोई बोलना चाहें दो-तीन मिनट में तो बोल लें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—आज का ही डे अलॉट किया हुआ है।

श्री हरिराम (बागीडोरा)—माननीय उपाध्यक्ष, हमारे इस राजस्थान की बहुत ही बड़ी समस्या थी। हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। हम लोग राजस्थान में जन्मे हैं। लेकिन हमारे पीछे एक जबरदस्ती का षडयंत्र था उसको मैं भूल नहीं सकूंगा। हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़े को इस तरह से लेना चाहते थे कि वह हमारे यहां माही का जो पानी आता था वे उस पानी को वापिस ले जाना चाहते थे। एक नदी जो हमारे यहां से जाती थी उसको वापिस लौटाना चाहते थे। यह कभी हो सकता है कि उसको हम बम्बई प्रांत में ले जायेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता है। इसके आगे अगर भगवान भी आते हमारे इलाके के पानी को वापिस नहीं ले जा सकते हैं। वह तो हमारे कमीशन ने जो फैसला दिया वह हमारे न्याय के प्रति बहुत ही उत्तम है। हम लोग यही सुनते थे कि हमारी माही नदी का पानी वे गुजरात को वापिस ले जाना चाहते थे। क्या कभी ऐसा हो सकता है। नहीं, कभी नहीं हो सकता है लेकिन यह निश्चित था कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो चला जाता तो म क्या शान्ति से बैठ सकते थे, कभी नहीं बैठ सकते थे। हमारी भूमि राजस्थान है, हमारी भाषा राजस्थानी है, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, हम गुजराती नहीं हैं, हम गुजरात में पैदा नहीं हुए हैं, हम राजस्थान के अंग हैं, हम राजस्थान के वासी हैं, हम चित्तोड़ के वासी हैं, हम चित्तोड़ के रहने वाले हैं, हम चित्तोड़ के किले के रहने वाले हैं, हम चित्तोड़ की मीराबाई के प्यारे हैं। (करतल ध्वनि) हमारे गुजरात में जाने की जो बात थी उसका फैसला कमीशन ने दे दिया। मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। हम धन्यवाद दें, इससे क्या हो सकता है? इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—बोलने वाले और कितने हैं।

एक माननीय सदस्य—अब कल रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—बोलने वाले कितने हैं?

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—बोलने वाले तो इसी उम्मीद पर चले गये कि कल समय दिया जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—मैं समझता हूँ कि कल के लिये घन्टे भर में सब बोल लें तो ठीक होगा।

श्री भैरूंसिंह—कल के लिये और रख लिया जाय तो ठीक होगा। सभी जगह की विधान सभाओं में इसके लिये दो दिन का समय दिया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हमारे यहां उस तरह की स्थिति थोड़े ही है।

श्री उपाध्यक्ष—कल एक घन्टा समय और दिया गया। सदन की कार्यवाही अब स्थगित की जाती है, कल सुबह साढ़े आठ बजे तक के लिये।

(सदन की कार्यवाही मध्यान्ह में १२-३७ पर दिनांक २३ नवम्बर, १६५५ के प्रातः साढ़े आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, २२ नवम्बर, १६५५

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १६ का उत्तर देखिये)

सूची पूर्व राजस्थान में सम्मिलित नगरपालिकाओं की जो राजस्थान राजपत्र दिनांक १४ फरवरी, १९४९, पृष्ठ१३ पर प्रकाशित हुई हैं।

१.	कोटा	१५.	भवानी मंडी
२.	बारां	१६.	डूंगरपुर
३.	बूंदी	१७.	सगवाडा
४.	पाटन	१८.	गालीयाकोट
५,	नेनवा	१९.	बांसवाड़ा
६.	लाखेरी	२०.	प्रतापगढ़
७.	किशनगढ़	२१.	शाहपुरा
८.	सरवाड़	२२.	कुशलगढ़
९.	सिरोंज	२३.	भीलवाड़ा
१०.	छबड़ा	२४.	चितौड़
११.	निम्बाहेडा	२५.	उदयपुर
१२.	पिडावा	२६.	जोधपुर
१३.	झालावाड	२७.	बीकानेर
१४.	झालरापाटन	२८.	जयपुर

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १८ देखिये)

श्री चांदमल मेहता के तारांकित प्रश्न संख्या १३ सी. एम. के भाग ख, ग व घ के उत्तर में उल्लेखित सूची।

सूची उन आर. ए. एस. ऑफिसरों की जो आइ. ए. एस. पदों पर कार्य कर रहे है।

क्र. सं.	नाम	पद	आर.ए.एस. की सीनियोरिटी लिस्ट में स्थान	तिथि आई. ए. एस. पद पर कार्य करने की
१.	श्री पशुपतिनाथ कौल	राजस्व सचिव	५	१.६.१६५१
२.	श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा	उपसचिव, गृह विभाग	३७	१.६.१६५१
३.	श्री हरनाथसिंह मेहता	कलेक्टर, झालावाड़	११	१२.२.१६५५
४.	श्री अहमदअली शाह जाफरी	कलेक्टर, सवाई माधोपुर	२७	२६.७.१६५५
५.	श्री मूलसिंह	कलेक्टर, जैसलमेर	६४	३०.८.१६५५
६.	श्री जगन्नाथ सिंह मेहता	कलेक्टर, चुरू	३५	१८.६.१६५५
७.	श्री जे० पी० अरोड़ा	कलेक्टर, झुन्झुनू	८६	७.५.१६५५
८.	श्री सूर्य स्वरूप	कलेक्टर, चित्तौडगढ़	२१	३१.१०.१६५५
६.	श्री मांगीलाल मेहता	कलेक्टर, जालोर	१५	आज्ञा दिनांक ६.११.१६५५ से नियुक्ति की गई।
१०.	श्री पुरषोत्तमलाल सुखवाल	कलेक्टर, भीलवाड़ा	३१	१७.१०.१६५५
११.	श्री निरन्जन सिंह	कलेक्टर, बूंदी	३३	आज्ञा दिनांक ६.११.५५ से नियुक्ती की गई।